व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

खंड क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध इकाई की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	L65100DL1987GOI027265
2.	सूचीबद्ध इकाई का नाम	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
3.	निगमन वर्ष	1987
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	कोर 4ए, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003
5.	निगमित पता	तृतीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066
6.	ई-मेल	cmd@ireda.in
7.	दूरभाष	011-26717400
8.	वेबसाइट	www.ireda.in
9.	वित्त वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2025-26
10.	शेयर बाज़ार(रों) का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध	• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड • बीएसई लिमिटेड
11.	चुकता पूंजी	₹28,09,23,12,680

12. बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी जिज्ञासा के मामले में संपर्क किये जा सकने वाले व्यक्ति का विवरण।

क्र. सं.	नाम	दूरभाष	ई-मेल
01	श्री भरत सिंह राजपूत महाप्रबंधक (परियोजना)-ईसीजी	011-24347729	bsrajput@ireda.in

13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण एकल आधार पर किये गये हैं (यानी सिर्फ़ इकाई हेतु) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ)।	इस रिपोर्ट के तहत खुलासे समेकित आधार पर किए गए हैं और इनमें इरेडा के सभी कामकाज शामिल हैं।
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	कंपनी ने बीआरएसआर कोर इंडिकेटर्स के लिए उचित आश्वासन प्राप्त कर लिया है। विस्तृत आश्वासन रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

II. उत्पाद/सेवाएँ

16. व्यावसायिक क्रिया-कलाप का विवरण (कारोबार के 90% हेतु लेखांकन):

क्र. सं.	मुख्य क्रिया-कलाप का विवरण	व्यावसायिक क्रिया-कलाप का विवरण	इकाई के कारोबार का %
1.	वित्तीय और बीमा क्रिया-कलाप	बीमा और पेंशन वित्तपोषण गतिविधियों को छोड़कर, अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां	99.68%

17. इकाई द्वारा बेचे गये उत्पाद/सेवाएँ (इकाई के कारोबार के 90% हेतु लेखांकन):

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार में योगदान का %
1	बीमा और पेंशन वित्तपोषण गतिविधियों को छोड़कर, अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां	649999*	99.68%

**एनआईसी-2025 वर्गीकरण के आधार पर कोड की पहचान की गई है और उसे सूचीबद्ध किया गया है।*

III. प्रचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहाँ इकाई के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	1	8	9
अंतरराष्ट्रीय	-	1*	1

**विदेशों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए इरेडा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड (आईजीजीईएफआईएल) का कार्यालय भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी, एसईज़ेड में स्थित है।*

19. इकाई द्वारा सेवित बाज़ार :

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	23 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1 (ज़ाम्बिया)

नोट: *कंपनी की सेवाएँ पूरे भारत में उपलब्ध हैं और ये भौगोलिक रूप से सीमित नहीं हैं। इसके अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का ऋण प्रोफाइल 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदगी के साथ अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है, जो वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के अनुरूप इसके समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है।*

ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यातों का योगदान क्या है?	शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी
कंपनी मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं की ज़रूरतों को पूरा करती है। इसके ग्राहकों में निजी क्षेत्र की कंपनियाँ, फ़र्म, एलएलपी, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ और सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं, जो सौर, पवन,जल विद्युत, बायोमास, अपशिष्ट-से-ऊर्जा, इथेनॉल और हाइब्रिड जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को लगाने, उनकी स्वामित्व रखने और उन्हें चलाने का काम करती हैं। कंपनी परियोजना जीवनचक्र के अलग-अलग चरणों में और वह भी विकास और निर्माण से लेकर शुरुआत के बाद के परिचालन तक इन ग्राहकों की मदद करती है। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य समर्थित संस्थाओं को भी आर्थिक मदद देती है, जिनमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू), राज्य की उपयोगिता कंपनियाँ, बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम), पारेषण कंपनियाँ (ट्रांसको), उत्पादन कंपनियाँ (जेनको) और राज्य के निगम शामिल हैं। इन ग्राहकों को नवीकरणीय विद्युत उत्पादन, पारेषण और निकास अवसंरचना, स्मार्ट मीटरिंग और ग्रिड से जुड़ी दूसरी पहलों जैसी गतिविधियों में मदद दी जाती है, जिससे देश के स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करने में योगदान मिलता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य कड़ी के उभरते और उससे जुड़े क्षेत्रों में ग्राहकों को सेवाएँ देती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियाँ, ऊर्जा दक्षता समाधान देने वाली कंपनियाँ और बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, ई-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और पंप-स्टोरेज परियोजनाओं जैसे नए क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियाँ शामिल हैं। कंपनी इन ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घ, मध्यम और कम समय के कई तरह के वित्तीय उत्पाद देती है, जिससे पारंपरिक और नए ज़माने के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में संतुलित विकास हो सके।

IV. कर्मचारी

20. वित्त वर्ष के अंत तक विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	% (ख/क)	सं.(ग)	% (ग/क)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
1.	स्थायी (घ)	208	157	75.48%	51	24.52%
2.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (ङ)	0				
3.	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	208	157	75.48%	51	24.52%
कामगार (गैर-कार्यपालक)						

4.	स्थायी(च)	16	15	94%	1	6%
5.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (छ)	0				
6.	कुल कामगार (च + छ)	16	15	94%	1	6%

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार :

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	% (ख/क)	सं.(ग)	% (ग/क)
दिव्यांग कर्मचारी (कार्यपालक)						
1.	स्थायी (घ)	6	6	100%	0	0%
2.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (ङ)	0				
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)	6	6	100%	0	0%
दिव्यांग कामगार (गैर-कार्यपालक)						
4.	स्थायी (च)	1	1	100%	0	0%
5.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (छ)	0				
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)	1	1	100%	0	0%

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	3*	0	-
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	4**	1	25%

*निदेशक मंडल के दो सदस्य, यानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी के 'मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक' (केएमपी) के तौर पर भी पद संभालते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इरेडा के बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। श्रीमती रोहिणी रावत, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, 09 मार्च 2023 से 05 मार्च 2026 तक बोर्ड की सदस्य के तौर पर काम कर रही थीं।

**वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) में नियुक्ति और पद छोड़ने के कारण बदलाव हुए। इन बदलावों की जानकारी बोर्ड की रिपोर्ट में, इस वार्षिक रिपोर्ट के "निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)" खंड के अधीन दी गई है।

यह प्रकटीकरण उन सभी व्यक्तियों को दर्शाता है जिन्होंने वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय केएमपी के रूप में कार्य किया। हालांकि, वित्त वर्ष के आखिर में रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को कंपनी का केएमपी माना जाता है जो 31 मार्च 2026 को पद पर थे।

इसके अनुसार, 31 मार्च 2026 तक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नानुसार हैं:

- श्री प्रदीप कुमार दास – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- डॉ. बिजय कुमार महान्ती – निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
- श्रीमती एकता मदान – कंपनी सचिव
- श्री तुषार कांत परिदा – कार्यपालक निदेशक (वित्त और लेखा)

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों हेतु कारोबार दर (पिछले 3 वर्ष हेतु रुझान प्रकटीकरण)

	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष में कारोबार दर)			वित्त वर्ष 2025 (वर्तमान वित्त वर्ष में कारोबार दर)			वित्त वर्ष 2024 (वर्तमान वित्त वर्ष में कारोबार दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	2.30	0	1.68	2.36	0.59	2.95	1.18	2.37	3.55
स्थायी कामगार	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियाँ (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (क) धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	क्या धारक/ सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं, उल्लेख करें	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शायी गयी इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
1.	इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ

VI. सीएसआर विवरण

24. (i). क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: हाँ

(ii). कारोबार (₹ में) : 83,37,48,30,028.20

(iii). निवल संपत्ति (₹ में): 1,37,81,35,05,150.02

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/ परेशानी :

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	नोट	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	नोट
समुदाय	हाँ	9	0	सीपीजीआरएएम और शिकायत ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ	6	0	-
	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/documents/rti/citizens-charter/citizens-charter-ireda.pdf						
निवेशक		0	0		2	0	-
	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/investor-service-cell;jsessionid=D8D5FD266528A07ECF89A5C41CF70CAD						
शेयरधारक		2	0	-	19	0	-
	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/investor-service-cell						
कर्मचारी		0	0	-	0	0	-
	https://ireda.operations.dynamics.com/?cmp=irn&mi=HcmEmployeeSelfServiceWorkspace						
ग्राहक		0	0		0	0	-
	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/documents/rti/citizens-charter/citizens-charter-ireda.pdf						
मूल्य कड़ी भागीदार	कोई नहीं	0	0		-	-	-

26. इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यवसाय आचरण विषयों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक उत्तरदायी व्यवसाय आचरण और स्थिरता के विषयों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर, उन्हें पहचानने का औचित्य, जोखिम को अनुकूलित या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करते हैं:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
1.	**उत्सर्जन प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन**	**अवसर**	भौतिक, परिवर्तन और विनियामक प्रभावों के कारण, उत्सर्जन प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन को आम तौर पर व्यवसायों के लिए एक प्रमुख जोखिम माना जाता है। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित वित्तपोषण केंद्र के लिए,जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाला ऊर्जा परिवर्तन एक संरचनात्मक अवसर है। कार्बन मुक्तिकरण के लिए नीति के तहत किए गए वादे, साफ़-सुथरी ऊर्जा की बढ़ती मांग और संस्थानों में टिकाऊ कामकाज पर बढ़ता ज़ोर, नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए लंबे समय के मौके सृजन करते हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी कम कार्बन वाली परियोजनाओं को फंड देकर और नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे कि अपने कार्यालय और परिचालनगत सुविधाओं में) को अपनाकर इस मौक़े का फ़ायदा उठाती है। इससे राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ तालमेल सुदृढ़ होता है, क्षेत्र की विश्वसनीयता बढ़ती है और एक सुदृढ़, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिलती है।	**सकारात्मक :** ग्रीन फाइनेंसिंग के मौकों का विस्तार; जलवायु-केंद्रित नीतियों के अनुसार दीर्घावधि प्रोफाइल की वृद्धि; नवीनीकरण ऊर्जा वित्तपोषण क्षेत्र की विश्वसनीयता में बढ़ोतरी; बेहतर ऊर्जा के स्रोत और परिचालनगत स्थायित्व से लागत में बचत और स्थिरता की संभावना।
2.	**परिचालन संबंधी पर्यावरण-दक्षता**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास पारिस्थितिकी तंत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए, ऊर्जा, पानी और सामग्रियों जैसे संसाधनों का सही प्रयोग और उत्तरदायी से कचरे का प्रबंधन करना, पर्यावरण से जुड़े उन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और कम कार्बन वाले समाधानों को बढ़ावा देने वाले संस्थानों के लिए, पर्यावरण के अनुकूल आंतरिक कामकाज अपनाना स्थिरता के सिद्धांतों के साथ तालमेल को मजबूत करता है, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है और टिकाऊ व उत्तरदायी व्यावसायिक तौर-तरीकों के प्रति बढ़ती अपेक्षाओं के बीच संस्थान की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी ने परिचालन संबंधी पर्यावरण दक्षता में सुधार के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें शून्य कागज खपत वाला कार्यालय चलाना, कचरे को जैव अपघटनीय और गैर-जैव अपघटनीय श्रेणियों में अलग करना शामिल है। ये उपाय सभी परिचालनों में संसाधनों की खपत और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। **सकारात्मक** : संसाधनों के कुशल प्रयोग से परिचालन लागत में कमी; कचरे को संभालने और उसके निपटान की कम लागत; बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन, जो दीर्घावधि चलने वाली स्थिरता और हितधारकों के भरोसे को बढ़ावा देता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
3.	**प्रतिभा प्रबंधन**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए प्रतिभा प्रबंधन एक प्रमुख विषय है। इसके लिए परियोजना वित्तपोषण, जोखिम आकलन, नई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और नीति-आधारित ऋणी जैसे क्षेत्रों में विशेष कौशल की ज़रूरत होती है। जैसे-जैसे ऊर्जा परिवर्तन की प्राथमिकताओं के कारण यह क्षेत्र तेज़ी से बदल रहा है, कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने, उन्हें तैयार करने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता संस्थागत कार्य-निष्पादन का एक मुख्य कारक बन गई है। कर्मचारियों की क्षमता, करियर के विकास और समावेशी कार्य-माहौल में निवेश करने से उत्पादकता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और सेवा व भरोसे पर आधारित क्षेत्र में लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद मिलती है।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी ने प्रतिभा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व विकास की पहल, साफ़ तौर पर निर्धारित नीतियां, कार्य-निष्पादन समीक्षा और कौशल विकास का ढांचा, विविधता, इक्विटी और समावेशी (डीईआई) नीतियां और कर्मचारियों की भलाई और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए शिकायतों के समाधान की एक सुरक्षित प्रणाली शामिल है।	**सकारात्मक:** कर्मचारियों की बेहतर भागीदारी और उत्पादकता; बेहतर संगठनात्मक प्रदर्शन; और प्रतिभा को बनाए रखने की सुदृढ़ क्षमता, जिससे निरंतरता, संस्थागत ज्ञान और लंबे समय तक व्यावसायिक की प्रभावशीलता बनी रहती है।
4.	**व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस)**	**अवसर**	आमतौर पर, संभावित स्वास्थ्य घटनाओं, कार्यस्थल के खतरों और उनसे जुड़ी परिचालनगत रुकावटों के कारण, संगठनों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए - जो मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित और ऑफिस-आधारित प्रकृति का है, ओएचएस को अब किसी बड़े जोखिम के बजाय एक रणनीतिक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। इस क्षेत्र का प्रदर्शन मुख्य रूप से कर्मचारियों की निरंतर उपलब्धता, उनकी सोचने-समझने की क्षमता और दीर्घकालिक जुड़ाव पर निर्भर करता है, न कि ज़्यादा जोखिम वाले औद्योगिक कामों के संपर्क में आने पर।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी ने कर्मचारियों की सेहत, सुरक्षा और देखभाल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें व्यापक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा लाभ, मातृत्व और पितृत्व लाभ, रोज़ाना ध्यान सत्र और कई तरह की कल्याण पहल शामिल हैं।	**सकारात्मक:** इससे कर्मचारियों की सेहत और काम करने की क्षमता बेहतर होती है; काम से गैर-हाज़िरी और सेहत से जुड़ी रुकावटें कम होती हैं; कर्मचारियों की संतुष्टि और कंपनी में बने रहने की दर बढ़ती है, जिससे संगठन का कामकाज स्थिर और कुशल बना रहता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
				इनमें डॉक्टर की सुविधा के साथ घरेलू चिकित्सा सुविधाएँ, नियमित स्वास्थ्य जांच, मुफ़्त चिकित्सा शिविर, आयुर्वेद थेरेपी, मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता सत्र, पर्याप्त अग्नि-शमन उपकरण लगाना और अंदरूनी हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पूरे परिसर में एयर प्यूरीफ़ायर लगाना शामिल है।	
5.	**मानव संसाधन**	**अवसर**	मानवाधिकार से जुड़े विषयों को अक्सर नियमों के पालन और प्रतिष्ठा से जुड़े जोखिम वाले क्षेत्रों के तौर पर देखा जाता है। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए, ये भरोसे और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने का एक प्रमुख मौका भी हैं। यह क्षेत्र सार्वजनिक नीति के लक्ष्यों और अलग-अलग हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है, इसलिए विश्वसनीयता, दीर्घावधि स्थिरता और समावेशी विकास के लिए सुदृढ़ मानवाधिकार और नैतिकता का ढांचा बहुत ज़रूरी है।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, कंपनी ने मानवाधिकारों और नैतिक आचरण को बनाए रखने के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएँ स्थापित की हैं, जिसमें एक मानवाधिकार नीति भी शामिल है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस पॉलिसी में समान अवसर, भेदभाव न करना, विविधता और समावेश, उत्पीड़न की रोकथाम, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वेतन और काम के घंटों से जुड़े श्रमिक मानक, सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल के तौर-तरीके, बाल श्रम और जबरन मज़दूरी पर रोक, निजता का अधिकार और भ्रष्टाचार-रोधी उपाय शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कामकाज और मूल्य कड़ी, दोनों में ही मानवाधिकारों का ध्यान रखा गया है।	**सकारात्मक:** हितधारक का बढ़ा हुआ भरोसा और संस्था की विश्वसनीयता; प्रतिष्ठा और नियमों के पालन से जुड़े जोखिमों में कमी; सुदृढ़ संगठनात्मक संस्कृति जो लंबे समय तक टिकाऊ कार्य-निष्पादन में मदद करती है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
6.	**ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसमें लंबे समय के रिश्ते, भरोसा और सेवा की गुणवत्त सीधे तौर पर दोबारा मिलने वाले व्यापार, पोर्टफोलियो के कार्य-निष्पादन और हरित वित्तीय समाधान को अपनाने पर प्रभाव डालती है। बेहतर ग्राहक जुड़ाव और सेवा मॉडल परियोजना को आसानी से पूरा करने में मदद करते हैं, हितधारकों की संतुष्टि बढ़ाते हैं और टिकाऊ ऊर्जा बदलाव को संभव बनाने में इस क्षेत्र की भूमिका को सुदृढ़ करते हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, कंपनी ने शिकायतों और प्रतिक्रिया को समय पर और उत्तरदायी से प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए, अपने 'सिटिज़न चार्टर' के अनुरूप एक व्यापक, पारदर्शी और व्यवस्थित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता और सोच-समझकर फ़ैसला लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण योजनाओं, पात्रता के नियम, प्रक्रिया प्रवाह, ब्याज दर की जानकारी, आवेदन के प्रारूप, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और निर्धारित अधिकारियों के संपर्क विवरण जैसी विस्तृत जानकारी डिजिटल माध्यमों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है।	**सकारात्मक:** ग्राहकों का भरोसा और संतुष्टि बढ़ी; बार-बार जुड़ाव और हरित वित्तपोषित उत्पादों को प्रभावी ढंग से अपनाया गया; डिजिटलीकृत और पारदर्शी सेवा डिलीवरी मॉडल से परिचालनगत क्षमता में सुधार हुआ, जिससे लंबे समय तक व्यावसायिक के विकास को बढ़ावा मिला।
7.	**समुदाय जुड़ाव और विकास**	**अवसर**	समुदाय का जुड़ाव और विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परियोजना की व्यवहार्यता और दीर्घावधि निरंतरता का स्थानीय लोगों की मंज़ूरी और समाज की अच्छी साख से गहरा संबंध है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनायें अक्सर सीधे स्थानीय समुदायों से जुड़ी होती हैं, इसलिए काम करने के लिए 'सामाजिक लाइसेंस' (स्थानीय लोगों की मंज़ूरी) मिलना सफलता के लिए एक प्रमुख बात होती है। समुदाय के विकास की सक्रिय पहल समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं, हितधारकों के साथ संबंधों को मजबूत करती हैं और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य प्रदान करने में इस क्षेत्र की भूमिका को और मजबूत बनाती हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। हालाँकि, कंपनी मुख्य रूप से अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक विकास पहल करती है, जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा जागरूकता को बढ़ावा देने, आजीविका विकास और कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समर्थन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। इन पहलों का उद्देश्य समुदायों में सकारात्मक योगदान देना और समावेशी व टिकाऊ विकास के नतीजों को बढ़ावा देना है।	**सकारात्मक :** समुदाय के साथ सुदृढ़ रिश्ते और सामाजिक सद्भावना; लंबे समय तक परियोजना के टिके रहने की क्षमता में सुधार; संस्था की बेहतर प्रतिष्ठा, जिससे स्थिर और उत्तरदायी व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिला।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
8.	**स्थायी आपूर्ति कड़ी प्रबंधन**	**अवसर**	परियोजना मूल्य कड़ी में उत्तरदायी स्रोत, नैतिक बिज़नेस तौर-तरीकों और पर्यावरण व सामाजिक अभिशासन पर बढ़ते ध्यान को देखते हुए, स्थाई आपूर्ति कड़ी प्रबंधन नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए एक बढ़ती हुई प्राथमिकता बन गया है। इस क्षेत्र में, निरंतर आपूर्ति कड़ी प्रबंधन मुख्य रूप से उत्तरदायी खरीद और अभिशासन के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, न कि कच्चे वस्तु पर निर्भरता के लिहाज़ से; क्योंकि संस्थान सीधे तौर पर विनिर्माण या निर्माण गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। हालांकि आपूर्ति कड़ी से जुड़ी बातों को अक्सर जोखिम के नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए ये परियोजना विकासक, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच पारदर्शिता, नियमों का पालन और निरंतरता को बढ़ावा देने का एक मौका है। इस क्षेत्र के संस्थान प्रशासनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, सुविधा प्रबंधन, सलाहकार और दूसरी परिचालनगत सेवाओं के लिए बाह्य विक्रेताओं पर निर्भर रहते हैं। इसलिए, उत्तरदायी कामकाज को बनाए रखने और हितधारकों का विश्वास मजबूत किया है।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी खरीद की व्यवस्थित प्रक्रियाओं का पालन करती है और लागू नियमों के अनुसार अपने विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की भागीदारी को बढ़ावा देती है। खरीद की प्रक्रियाएँ पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ-साथ परिचालनगत सहयोगी सेवाओं की निरंतरता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं।	**सकारात्मक:** एक स्थिर और नियमों का पालन करने वाले विक्रेता आधार के ज़रिए परिचालनगत सहयोगी सेवाओं की विश्वसनीयता और निरंतरता सुदृढ़ हुई; लंबे समय में लागत दक्षता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार; एमएसई की भागीदारी को समर्थन जिससे समावेशी विकास में योगदान मिला, साथ ही परिचालन खर्चों में भी स्थिरता बनी रही।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
9.	**निगमित अभिशासन और नैतिकता**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए सुदृढ़ निगमित अभिशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में संस्थागत विश्वसनीयता के लिए लंबे समय तक पूँजी लगाना, विनियामक निगरानी और जनता का भरोसा बहुत प्रमुख होता है। इस क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा और जनता का विश्वास नैतिक आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था पर निर्भर करता है। बेहतर अभिशासन ढांचा उत्तरदायी से फ़ैसले लेने में मदद करता है, निवेशकों और हितधारकों का भरोसा बढ़ाते हैं, और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा प्राथमिकताओं के लिए वित्तपोषण करने वाले संस्थानों की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करते हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी ने स्पष्ट रूप से परिभाषित नीतियों, आचार-संहिताओं और प्रक्रियाओं के आधार पर सुदृढ़ निगमित अभिशासन व्यवस्थाएँ स्थापित और लागू की हैं। इनमें व्यावसायिक आचार और नैतिकता की संहिता, अंदरूनी व्यापार, पर्दाफाश से सुरक्षा, रिश्वत-विरोधी और भ्रष्टाचार-विरोधी उपाय, संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन, बोर्ड की आज़ादी, बोर्ड में विविधता, महत्वपूर्णता का निर्धारण और जानकारी देने के तरीके जैसी नीतियां शामिल हैं। नियमित आंतरिक लेखा-परीक्षा और समय-समय पर होने वाली बाह्य लेखा-परीक्षा के ज़रिए अभिशासन के अमल को और सुदृढ़ किया जाता है, जिससे नियमों के पालन, कंट्रोल और अभिशासन प्रक्रियाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। विनियामक ज़रूरतों,आंतरिक नीति और मंज़ूरी ढांचाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कामों में सख्त प्रक्रिया निगरानी और पर्यवेक्षण की प्रणाली लागू है।	**सकारात्मक:** निवेशकों का बढ़ा हुआ भरोसा और पूंजी तक पहुंच; जनता का सुदृढ़ भरोसा; अभिशासन से जुड़ी अनिश्चितता में कमी, जिससे दीर्घावधि स्थिर वित्तीय प्रदर्शन और संस्थागत स्थिरता को बढ़ावा मिला।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
10.	**जोखिम प्रबंधन**	**जोखिम**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए जोखिम प्रबंधन एक प्रमुख विषय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें लंबे समय तक पूँजी का निवेश होता है, परियोजना के आधार पर ऋण दिया जाता है, विनियामक ज़रूरतें बदलती रहती हैं, और यह बाज़ार, तरलता और ऋण की स्थितियों पर निर्भर करता है। यह क्षेत्र कई तरह के जोखिमों के संपर्क में है, जिनमें ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम, परिचालनगत जोखिम और साइबर व सूचना जोखिम जैसे उभरते जोखिम शामिल हैं। वित्तीय स्थिरता, पूंजी पर्याप्तता और ऊर्जा बदलाव में सहयोग देने की निरंतर क्षमता को सुरक्षित रखने के लिए इन जोखिमों की सही पहचान और प्रबंधन ज़रूरी है।	कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है, जिसमें ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, तरलता जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन और सूचना एवं साइबर सुरक्षा जोखिम शामिल हैं। बोर्ड-स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन के अधीन तैयार की गई जोखिम प्रबंधन नीति को, बदलते व्यावसायिक और बाज़ार के हालात के आधार पर समय-समय पर बेहतर बनाया जाता है। जोखिम की निगरानी का काम निदेशक मंडल करता है, जिसे एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग का सहयोग मिलता है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस विभाग के प्रमुख होते हैं, जो सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। कंपनी एक व्यवस्थित 'आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया' (आईसीएएपी) का पालन करती है, ताकि उन जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन किया जा सके जो व्यावसायिक के प्रदर्शन, वित्तीय स्थिति या पूंजी की पर्याप्तता पर प्रभाव डाल सकते हैं।	**नकारात्मक अगर ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया:** कमज़ोर जोखिम प्रबंधन के कारण, ऋण लेने वाले के स्तर पर परियोजना में देरी, लागत बढ़ने या नकद प्रवाह में अंतर की वजह से परिसंपत्ति की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि, प्रावधान आवश्यकताओं में वृद्धि, लाभप्रदता पर दबाव, तरलता संकट और पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। अगर बाज़ार, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा, परिचालनगत या साइबर जोखिमों को ठीक से कंट्रोल न किया जाए, तो इनसे वित्तीय नुकसान हो सकता है, विनियामक जुर्माना लग सकता है और निवेशकों का भरोसा भी कम हो सकता है।
11.	**उत्तरदायीपूर्ण ऋणी**	**जोखिम**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए उत्तरदायी ऋणी एक प्रमुख विषय है, क्योंकि लंबे समय की परियोजना के वित्तपोषण का पर्यावरण और समाज पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है।	कंपनी ने अपनी उत्तरदायी ऋणी की प्रक्रिया के तहत एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) लागू की है।	नकारात्मक अगर ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया : परियोजना में देरी, नियमों का पालन न करने, समुदाय के विरोध या प्रतिष्ठा से जुड़ी चिंताओं के कारण संभावित वित्तीय प्रभाव, जिससे परिसंपत्ति के प्रदर्शन और उगाही पर प्रभाव पड़ सकता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
			ऋण देने के चरण में पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों पर ठीक से विचार न करने से परियोजना की व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है, विनियामक, प्रतिष्ठा या समुदाय से जुड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं और अंततः वित्तीय प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि इस क्षेत्र की संस्थाएं लंबे समय तक चलने वाले अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करती हैं, इसलिए ऋण के मूल्यांकन और निगरानी में पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि टिकाऊ नतीजे मिल सकें और हितधारकों के हितों की रक्षा हो सके।	ईएसएमएस ढांचा, लागू कानूनों, नियमों और आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना के मूल्यांकन, मंज़ूरी और निगरानी की प्रक्रियाओं में पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव के आकलन को शामिल करता है। यह वित्तपोषित की गई परियोजनाओं से जुड़े संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन में मदद करता है, जिससे सोच-समझकर ऋण देने के फ़ैसले लेने और परियोजना के पूरे जीवनचक्र के दौरान निरंतर निगरानी करने में सहायता मिलती है।	
12.	**सतत वित्त पोषण**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र का एक मुख्य आधार है निरंतर वित्त पोषण। इस क्षेत्र की मुख्य भूमिका है ऐसी परियोजनाओं के लिए लंबे समय की पूंजी जुटाना, जिनसे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन वाला अवसंरचना तैयार हो सके। इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएँ सीधे तौर पर जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ विकास से जुड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करती हैं। वे सौर, पवन, जल विद्युत, बायो-ऊर्जा, पारेषण अवसंरचना और उभरते हुए स्वच्छ ऊर्जा समाधानों जैसी तकनीकों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासक, सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिता कंपनियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराती हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, कंपनी अपने मुख्य ऋणी परिचालन के ज़रिए सतत वित्त पोषण को बढ़ावा देती है। इसके लिए वह पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता से जुड़े कई तरह की परियोजनाओं को वित्तीय रूप से मदद देती है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ग्रिड एकीकरण और उभरती हुई टेक्नोलॉजी में शामिल विकासक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य की उपयोगी कंपनियों और निजी संस्थाओं को कंपनी के वित्तपोषण से मदद मिलती है।	**सकारात्मक:** नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते प्रयोग से सुदृढ़ और निरंतर विकास के मौके; नीति ढांचा से समर्थित परियोजनाओं से स्थिर और लंबे समय तक प्रवाह; देश के जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों के साथ बेहतर पोर्टफोलियो तालमेल; भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए सुदृढ़ संस्थागत भूमिका, जो लंबे समय की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
			जैसे-जैसे हरित ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, सतत वित्त पोषण एक लंबे समय का संरचनात्मक अवसर बन गया है। यह इस क्षेत्र को भारत के ऊर्जा परिवर्तन और समावेशी आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला बनाता है।	ऋण देने और मूल्यांकन की प्रक्रियाएं पर्यावरणीय परिणामों और वित्तीय विवेक के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो उन परियोजनाओं का समर्थन करती हैं जो परिसंपत्ति की गुणवत्ता और पोर्टफोलियो के लचीलेपन को बनाए रखते हुए दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान करती हैं।	
13.	**डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा**	**जोखिम**	ऋण देने, ग्राहकों से जुड़ने, शिकायतों के निपटारे और विनियामक रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण को देखते हुए, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिम के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस सेक्टर की संस्थाएं ऋण लेने वालों, कर्मचारियों, निवेशकों और अन्य हितधारकों से जुड़े संवेदनशील वित्तीय, परिचालनगत और व्यक्तिगत डेटा को प्रबंधित करती हैं। डेटा की गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता से जुड़ी किसी भी तरह की चूक कामकाज में बाधा डाल सकती है, नियमों के पालन पर प्रभाव डाल सकती है और हितधारकों का भरोसा कम कर सकती है। जैसे-जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और आईटी प्रणाली पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, कारोबार को निरंतर चालू रखने और जानकारी से जुड़ी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए साइबर जोखिम का प्रभावदार प्रबंधन ज़रूरी हो गया है।	कंपनी ने पूरे संगठन में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए एक व्यापक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) स्थापित किया है। आईएसएमएस ढांचा सभी हितधारकों पर लागू होता है, जिनमें ग्राहक, कर्मचारी, शेयरधारक, व्यावसायिक भागीदार और बाह्य इंटरफ़ेस शामिल हैं। इसे जानकारी से जुड़ी परिसंपत्तियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सूचना सुरक्षा नीति सूचना सुरक्षा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें पहुंच प्रबंधन, डेटा सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया, सिस्टम लचीलापन और लागू डेटा सुरक्षा कानूनों का अनुपालन शामिल है।	**नकारात्मक:** डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर अपर्याप्त कंट्रोल के कारण सिस्टम के बंद होने, ऋण लेने वालों, निवेशकों या कर्मचारियों के संवेदनशील डेटा तक अनधिकृत पहुंच और महत्वपूर्ण ऋणी और सेवा परिचालन में रुकावट से वित्तीय नुकसान हो सकता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
14.	**डिजिटल रूपांतरण और नवाचार**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए डिजिटल रूपांतरण एक प्रमुख ज़रिया है। इस क्षेत्र में संस्थाएं परियोजना-आधारित ऋणी, लंबी अवधि की परिसंपत्ति और अलग-अलग जगहों पर फैले ऋणकर्ताओं से जुड़े बड़े पैमाने के कामकाज को प्रबंधित करती हैं। डिजिटल ऋणी, निगरानी और रिपोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने से ऋण जीवनचक्र के दौरान दक्षता, पारदर्शिता और प्रतिक्रियाशीलता में सुधार होता है। जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए यह क्षेत्र बड़ा हो रहा है, डिजिटल टूल्स से परियोजना की प्रक्रिया की बेहतर ढंग से निगरानी, तेज़ी से सेवा देना और डेटा के आधार पर बेहतर फ़ैसले लेना मुमकिन हो रहा है। इससे सतत प्रगति को सहयोग करने की इस क्षेत्र की क्षमता सुदृढ़ हो रही है।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, कंपनी ऋणी, निगरानी और ग्राहक जुड़ाव की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल मंच का प्रयोग करती है। इसमें अनुप्रयोग की डिजिटल प्रक्रिया, वित्तपोषण दी गई परियोजनाओं की निगरानी और बेहतर सेवा डिलीवरी प्रणाली शामिल हैं।	**सकारात्मक:** कामकाज की बेहतर क्षमता और प्रसंस्करण में लगने वाले समय में कमी; ऋण पोर्टफोलियो और परियोजना की प्रगति की बेहतर निगरानी; लंबे समय में कामकाज की कम लागत; बेहतर ग्राहक अनुभव, जिससे हरित वित्त समाधानों को निरंतर अपनाने और व्यावसायिक को बड़े स्तर पर बढ़ाने में मदद मिली।
15.	**विनियामक और कानूनी अनुपालन**	**जोखिम**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए विनियामक और कानूनी नियमों का पालन करना एक महत्वपूर्ण विषय है। यह क्षेत्र कई तरह के विनियामक ढांचा के तहत काम करता है, जो ऋणी देने, सावधानी बरतने के नियमों, जानकारी देने, सार्वजनिक क्षेत्र अभिशासन अभिशासन और ऊर्जा व जलवायु से जुड़ी बदलती नीतियों को नियंत्रित रखते हैं। इस क्षेत्र की सार्वजनिक नीति के लक्ष्यों और लंबे समय के लिए पूँजी लगाने से गहरा संबंध है, इसलिए नियमों का पालन न करने से कामकाज, वित्तीय स्थिरता और हितधारकों के भरोसे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।	कंपनी एक व्यवस्थित अनुपालन और कानूनी अभिशासन ढांचे का पालन करती है, जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नीतियों, मानक संचालन प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों का समर्थन प्राप्त है। विनियामक बदलावों पर निरंतर नज़र रखी जाती है और उन्हें उचित रूप से आंतरिक प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। कानूनी और अनुपालन कार्य अनुबंध, ऋण से जुड़े दस्तावेज़ों और विनियामक फाइलिंग की समीक्षा करते हैं। इसमें समय-समय पर होने वाले आंतरिक लेखा-परीक्षा और बोर्ड व उसकी समितियों की निगरानी से मदद मिलती है, ताकि अनुपालन में कमियों की समय पर पहचान और उन्हें दूर किया जा सके।	**नकारात्मक, अगर ठीक से नहीं संभाला गया:** जुर्माने, कानूनी खर्च, कामकाज पर पाबंदियां और प्रतिष्ठा को नुकसान का जोखिम, जिससे निवेशकों का भरोसा प्रभावित हो सकता है।

खंड ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ										
1.	क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	तालिका क देखें								
2.	क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य कड़ी भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4.	राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाण-पत्र/लेबल/ मानकों का नाम (जैसे कि, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे कि, एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) को आपकी इकाई द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत को मैप किया गया।	-	आईएसओ 9001: 2015	-	-	-	-	-	-	आईएसओ 27001: 2022 आईएसओ 9001: 2015
5.	इकाई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के साथ, यदि कोई हो, विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना।	• सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर, भेदभाव न करने और सम्मान को सुनिश्चित करके विविधता, समानता और समावेश (डीईआई) की संस्कृति को सुदृढ़ करना। • निरंतरता और ईएसजी पर व्यवस्थित प्रशिक्षण, कल्याण और जुड़ाव पहलों के ज़रिए निरंतर सीखने और क्षमता विकास को बढ़ावा देना। • इरेडा कम से कम 70% कर्मचारियों की शारीरिक स्वास्थ्य जांच करेगा।								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति इकाई का कार्य-निष्पादन, साथ ही उन्हें पूरा न किए जाने की स्थिति में कारण भी।	• इरेडा में डीईआई नीति लागू है। वित्त वर्ष 2026 में कार्यस्थल पर भेदभाव के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली। • वित्त वर्ष 2026 में 100% कर्मचारी ईएसजी प्रशिक्षण के दायरे में। • इरेडा ने वित्त वर्ष 2026 में 70% से ज़्यादा कर्मचारियों (लगभग 73%) का शारीरिक स्वास्थ्य जांच करवाया है।								

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण										
7	व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के संबंध में लचीला रूख है)	इरेडा भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के बदलाव में एक प्रमुख भूमिका निभाने, समुदायों को सशक्त बनाने, जलवायु कार्रवाई में सहयोग करने और सभी हितधारकों के लिए एक टिकाऊ और सुदृढ़ भविष्य बनाने में योगदान देने की कोशिश करता है। हम निरंतर विकास के लिए नए-नए स्रोत से ऊर्जा बनाने, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण से जुड़ी प्रौद्योगिकी में स्वयं से चलने वाले निवेश को वित्तपोषित करने और बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं। जैसे-जैसे भारत जलवायु और ऊर्जा परिवर्तन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, इरेडा एक ऐसे बदलते माहौल में काम कर रहा है जिसमें तेज़ी से तकनीकी बदलाव, विनियामक घटनाक्रम और हितधारकों की बढ़ती उम्मीदें शामिल हैं। ईसीजी से जुड़ी मुख्य चुनौतियों में अलग-अलग तरह के ऋण लेने वालों के बीच उत्तरदायी से ऋण देने के तरीके अपनाना और तेज़ी से बदलते माहौल में सुदृढ़ अभिशासन मानक बनाए रखना शामिल है। इरेडा ने नवीकरणीय और निम्न-कार्बन वित्तपोषण को आगे बढ़ाने, ईएसजी मामलों की बोर्ड-स्तरीय निगरानी को मजबूत करने और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थिरता-संबंधी प्रकटीकरण में सुधार करने में निरंतर प्रगति की है। क्षमता-निर्माण की पहलों और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श ने पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में और सहायता की। आगे बढ़ते हुए, हम ईएसजी एकीकरण को और गहरा करने, जोखिम प्रबंधन ढांचा को सुदृढ़ करने और भारत के जलवायु और निरंतर लक्ष्यों का समर्थन करने के साथ-साथ हितधारकों के लिए लंबे समय तक चलने वाली मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध हैं।								
8	व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	निदेशक मंडल								
9	क्या इकाई के पास स्थिरता से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी निदेशक/बोर्ड की एक निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	हाँ निदेशक (वित्त) संपर्क: 011-24347729 ई-मेल: df@ireda.in								

तालिका क

सिद्धांत 1	व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता	https://www.ireda.in/policy/code-of-conduct
	रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी (एबीएसी) नीति	https://www.ireda.in/policy/abac
	निगमित अभिशासन पर आंतरिक दिशनिर्देश	https://www.ireda.in/policy/corp-governance
सिद्धांत 2	वित्तपोषण मानदंड और योजनाएँ	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/loan-products/schemes
सिद्धांत 3	ईएसएमएस नीति	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/esms
	ईएसजी नीति	https://www.ireda.in/policy/esg
सिद्धांत 4	ईएसएमएस नीति	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/esms
	व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता	https://www.ireda.in/policy/code-of-conduct

सिद्धांत 5	मानव अधिकार नीति	https://www.ireda.in/policy/human-rights
	सतर्कता तंत्र पर नीति/ पर्दाफाश करने वाली नीति	https://www.ireda.in/policy/whistle-blower
	विविधता, इक्विटी व समावेशन (डीईएंडआई) नीति	https://www.ireda.in/policy/dei
सिद्धांत 6	ईएसजी नीति	https://www.ireda.in/policy/esg
सिद्धांत 7	निगमित अभिशासन पर आंतरिक दिशा-निर्देश	https://www.ireda.in/policy/corp-governance
सिद्धांत 8	सीएसआर नीति	https://www.ireda.in/policy/csr
	इरेडा का नागरिक चार्टर	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/documents/rti/citizens-charter/citizens-charter-ireda.pdf
सिद्धांत 9	यूपीएसआई नीति	https://www.ireda.in/policy/insider-code-fair-disclosure

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा हेतु विषय	**कृपया बताएँ कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी**									**बारंबारता (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)**								
	पी1	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
उपर्युक्त नीतियों के तहत कार्य-निष्पादन तथा अनुवर्ती कार्रवाई	बोर्ड की समिति/बीओडी									आवश्यकतानुसार, आवधिक आधार पर								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन तथा किसी भी गैर-अनुपालनों का सुधार	बोर्ड की समिति/बीओडी									आवश्यकतानुसार, आवधिक आधार पर								

11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का किसी बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं)। अगर हाँ, तो एजेंसी का नाम प्रदान करें।

    नहीं

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत एक नीति द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
संस्था इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	लागू नहीं								
संस्था अभी उस स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नहीं)									
संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)									
इसे अगले वित्त वर्ष में पूरा करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

खंड ग : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना परिचालन और उनका संचालन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर प्रतिशत:

क्षेत्र	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का %
निदेशक मंडल (बीओडी)	5	• सूचना एवं साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला • जोखिम संबंधित पहलुओं पर मास्टरक्लास/बोर्ड सुग्राहीकरण • नवीकरणीय ऊर्जा सौर क्षेत्र पर सत्र • धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पर सत्र • ईएसजी के बारे में और मुख्य विकासों पर सत्र	100%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	7	• सूचना और साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम • एनबीएफसी के लिए केवाईसी/एएमएल प्रक्रियाओं और विनियामक अपेक्षाओं पर एक-दिवसीय कार्यशाला • स्वच्छता ही सेवा अभियान के भाग के रूप में स्वच्छोत्सव पर व्याख्यान शृंखला • धोखाधड़ी जागरूकता पर प्रशिक्षण • आईआरएम की 'रिस्क इन बोर्डरूम' मास्टरक्लास • 21वीं सदी की लीडरशिप के लिए महाभारत और भगवद गीता से प्रबंधन के सबक • ईएसजी से जुड़ी जानकारियों और मुख्य विकास पर सत्र	100%
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी	32	• "खरीद और सतर्कता: अनुपालन व उत्कृष्टता संस्कृति का निर्माण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम • "हाइड्रोकाइनेटिक ऊर्जा शक्ति को अनलॉक करना: जल-धारा का लाभ उठाना" शीर्षक पर कार्यशाला • 'ईएसजी, बीआरएसआर और निरंतर रिपोर्टिंग' पर नेशनल सर्टिफ़िकेट कोर्स प्रोग्राम 2025 • "उज्ज्वलतर भविष्य की ओर सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, सतर्कता और नैतिकता" पर सम्मेलन • "योग से तनाव प्रबंधन" पर कार्यशाला • बैटरी विनिर्माण पर मास्टरक्लास • कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) पर मास्टरक्लास • बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) पर मास्टरक्लास	100%

क्षेत्र	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का %
		• सूचना और साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम • "विद्यांजलि में सीएसआर की भूमिका" पर कार्यशाला • आईआरएम की 'रिस्क इन बोर्डरूम' मास्टरक्लास • "भारत की बायोफ्यूल यात्रा" पर सेमिनार • संधारणीय शिक्षा पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन(आईसीएसई) • स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंग स्वरूप स्वच्छोत्सव पर व्याख्यान श्रृंखला • बायो-एनर्जी अनुसंधान में हालिया प्रगति पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीआरएबीआर 2025) • "कल के लिए योग विज्ञान - प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम"पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन • 'ग्रीन हाइड्रोजन और इसकी व्युत्पंनी'पर मास्टरक्लास • ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीजीएच-2025) • "सतर्कता प्रशासन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम • पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) पर कार्यक्रम - अवधारणाएँ और नीतिगत ढाँचा • कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम पर कार्यशाला • कार्य-नीति पर पाठ्यक्रम: इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट (आईआरआईटीएम) द्वारा • कार्यवाई नैतिक सोच: मूल्यों और नैतिकता का परिचय पर पाठ्यक्रम: आईआईटी कानपुर द्वारा • आचरण नियमों पर पाठ्यक्रम: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान इंस्टीट्यूट द्वारा	

क्षेत्र	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का %
		• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नियमों और प्रक्रियाओं पर पाठ्यक्रम: नेशनल एकेडमी ऑफ़ डिफेंस प्रोडक्शन (एनएडीपी), नागपुर द्वारा • साइबर सतर्कता पर पाठ्यक्रम: प्रत्येक डिजिटल नागरिक को क्या ज़रूर पता होना चाहिए - नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न (एनईजीडी), एमईआईटीवाई, भारत सरकार द्वारा • सोलर सेल विनिर्माण पर मास्टरक्लास • पीओएसएच नियमों के अनुपालन और जागरूकता पर प्रशिक्षण (बैच I और II) • धोखाधड़ी जागरूकता पर प्रशिक्षण • पीओएसएच अनुपालन और जागरूकता पर प्रशिक्षण (बैच III) • 21वीं सदी की नेतृत्वता के लिए महाभारत और भगवद गीता से प्रबंधन के सबक • परियोजना प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और मैदानी दौरा (घरेलू)	
कामगार	5	• पीओएसएच अनुपालन और जागरूकता पर प्रशिक्षण • धोखाधड़ी जागरूकता पर प्रशिक्षण • टीबी जागरूकता • 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत 'स्वच्छोत्सव' पर व्याख्यान शृंखला • 21वीं सदी की नेतृत्वता के लिए महाभारत और भगवद गीता से प्रबंधन के सबक	100%

2. वित्त वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किये गये जुर्माने/दंड/सजा/ पुरस्कार/यौगिक शुल्क/निपटान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में [नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्वपूर्णता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी]:

मौद्रिक													
	एनजीआरबीसी सिद्धांत									विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गयी है? (हां/ नहीं)
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9				
यौगिक शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	नहीं
निपटान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	नहीं
दंड/जुर्माना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	नहीं

गैर-मौद्रिक													
	एनजीआरबीसी सिद्धांत									नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गयी है? (हां/ नहीं)
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9				
कारावास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
दंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताये गये मामलों में, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गयी है।

क्र.सं.	मामले का विवरण	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
लागू नहीं		

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

नीति उपलब्ध (हाँ/नहीं) : हाँ

वेब लिंक: https://www.ireda.in/policy/abac

विवरण: इरेडा ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय गड़बड़ी को रोकने के लिए एक सुदृढ़ अभिशासन ढांचा बनाया है, जो औपचारिक रूप से मंज़ूर की गई **'भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत-रोधी नीति'** पर आधारित है। यह नीति भारत में मौजूदा कानूनी और विनियामक ज़रूरतों के अनुरूप है, जिसमें **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002** शामिल हैं।

इस ढाँचे के अधीन, संगठन सरकारी और निजी, दोनों तरह के कामकाज में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और धन शोधन के प्रति शून्य सहनशीलता दृष्टिकोण अपनाता है। नीति की व्यापक प्रयोज्यता है, जिसमें बोर्ड के सदस्यों, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं के साथ-साथ विक्रेताओं, सलाहकारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य तीसरे पक्ष के भागीदारों जैसे बाह्य हितधारकों को शामिल किया गया है। यह उपहार और आतिथ्य सत्कार, सुविधा शुल्क, भर्ती संबंधी विवाद, प्रायोजन और राजनीतिक या धर्मार्थ योगदान सहित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के प्रबंधन पर स्पष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा एक **मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)** की नियुक्ति के माध्यम से अभिशासन और निगरानी को सुदृढ़ किया जाता है; ये अधिकारी नोडल और अनुपालन अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। नियमों के पालन की निगरानी को सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण, समय-समय पर होने वाली लेखा-परीक्षा और निरंतर निगरानी के तरीकों से सहारा मिलता है; इन्हें संभावित उल्लंघनों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बनाया गया है। नीति का पालन न करने पर, लागू कानूनों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक, प्रशासनिक, दीवानी या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी:

पदनाम	वित्त वर्ष 2026 वर्तमान वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 2025 पिछला वित्त वर्ष
निदेशक	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0	0
कर्मचारी	0	0
कामगार	0	0

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2025-26		वित्त वर्ष 2024-25	
	संख्या	अभ्युक्ति	संख्या	अभ्युक्ति
निदेशकों के हितों के टकराव के विषयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं
केएमपी के हितों के टकराव के विषयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा लगाए गए जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित विषयों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।
लागू नहीं

8. देय खातों के दिनों की संख्या [(देय खाते *365) / खरीदे गये माल/सेवाओं की लागत] निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2026 वर्तमान वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 2025 पिछला वित्त वर्ष
देय खातों के दिनों की संख्या	20	45

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

9. व्यवसाय पारदर्शिता व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद एवं बिक्री के संकेंद्रण तथा संबंधित पक्षों के साथ ऋण एवं अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मानदंड	मैट्रिक्स	वर्तमान वित्त वर्ष 2026	पिछला वित्त वर्ष 2025
खरीदारी का संकेन्द्रण	क. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	0	0
	ख. उन व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीद की गयी	0	0
	ग. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद	0	0
विक्रय का संकेन्द्रण	क. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरक को बिक्री	0	0
	ख. डीलरों/वितरक की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	0	0
	ग. डीलरों/वितरक को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री	0	0
इनमें आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	3.54%	3.09%
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	0	0
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिये गये ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम)	3.82%	2.31%
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/ किया गया कुल निवेश)	0.00	4.15%

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

नेतृत्व संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य कड़ी भागीदारों हेतु आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल मूल्य कड़ी भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
1	बीआरएसआर/ईएसजी का हितधारक जागरूकता सत्र	100%*

**जागरूकता सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया, जो सभी के लिए विस्तारित और सुलभ था।*

2. क्या इकाई के पास बोर्ड के सदस्यों को शामिल करने वाले हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने हेतु प्रक्रियाएं हैं? यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हाँ

इरेडा ने बोर्ड स्तर पर हितों के संभावित या वास्तविक टकराव की पहचान करने, उनका खुलासा करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित अभिशासन प्रणाली लागू की है। ये प्रक्रियाएँ संगठन के 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' का हिस्सा हैं, जो नैतिक व्यवहार और पारदर्शिता के लिए स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ज़रूरी है कि वे निर्धारित तरीके से बोर्ड को संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन और हितों के टकराव की किसी भी संभावित स्थिति के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी दें। इसके अतिरिक्त, उनके लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के पालन का वार्षिक घोषणा-पत्र जमा करना ज़रूरी है।

नियमों का पालन न करने या संभावित टकराव से जुड़े मामलों की समीक्षा बोर्ड स्तर पर की जाती है, और इरेडा के आंतरिक अभिशासन और अनुशासनात्मक ढांचे के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। ये उपाय मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हितों के टकराव का समाधान पारदर्शी, व्यवस्थित और समय पर किया जाए, जिससे पूरे संगठन में सुदृढ़ नैतिक मानकों और बेहतर निगमित अभिशासन प्रथाओं को बढ़ावा मिले।

व्यावसायिक आचार संहिता एवं नैतिकता https://www.ireda.in/policy/code-of-conduct यहाँ उपलब्ध है।

सिद्धांत 2: व्यवसायों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों में सुधार करने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का, संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय निवेश, क्रमशः, के प्रतिशत के रूप में विवरण।

	वर्तमान वित्त वर्ष	पिछला वित्त वर्ष	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आरएंडडी	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कैपेक्स	शून्य	शून्य	लागू नहीं

2. क्या इकाई के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत निविष्टि स्थायी रूप से प्राप्त किये गये?

नहीं, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए, इस प्रश्न की प्रासंगिकता सीमित है। एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी का संसाधन उपयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी आवश्यकताओं, जैसे कि कार्यालय सामग्री, संचार उपकरण और आईटी उपकरणों तक ही सीमित है। ऐसी सभी खरीदारी सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से की जाती है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीदारी पर ज़ोर दिया जाता है और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 'मेक इन इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कंपनी के खरीद दिशा-निर्देशों में उल्लिखित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करती है।

3. अपने उत्पादों की उपयोग-अवधि समाप्त होने पर उन्हें पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण तथा निपटान हेतु सुरक्षित रूप से वापस लेने हेतु लागू प्रक्रियाओं का विवरण दें।

	प्रक्रिया का विवरण
(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	यह लागू नहीं होता, क्योंकि एनबीएफसी होने के नाते, इरेडा ऐसी पैकेजिंग सामग्री का निर्माण, उपयोग या बाजार में बिक्री नहीं करती है जिसके लिए उपयोग-अवधि समाप्त पर पुनः प्राप्ति प्रक्रिया की आवश्यकता हो।
(ख) ई-कचरा	
(ग) जोखिम भरा कचरा	
(घ) अन्य अपशिष्ट	

4 क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं।

लागू नहीं है, एक एनबीएफसी के तौर पर, इरेडा ऐसी किसी भी विनिर्माण या उत्पादन गतिविधि में शामिल नहीं है, जिससे लागू नियमों के तहत ईपीआर की उत्तरदायीयिँ बनती हों।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग हेतु) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग हेतु) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल कारोबार में योगदान का %	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन संचालित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किये गये (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
लागू नहीं ।					

2. **यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई भी महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय शंकाएँ और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गयी कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।**

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/शंका का विवरण	की गयी कार्रवाई
लागू नहीं		

3. **उत्पादन (विनिर्माण उद्योग हेतु) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग हेतु) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गयी इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

निविष्टि सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री में पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गयी निविष्टि सामग्री	
	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)
लागू नहीं। एक एनबीएफसी के तौर पर, इरेडा ऐसी किसी भी विनिर्माण या उत्पादन गतिविधि में शामिल नहीं है, जिसके कारण लागू नियमों के तहत ईपीआर की उत्तरदायीयिँ बनती हों।		

4. **उत्पादों की उपयोगिता अवधि के अंत में पुनर्प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग सामग्री की मात्रा (मीट्रिक टन में), जिनका पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित निपटान किया गया है, निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत है:**

लागू नहीं। एक एनबीएफसी के तौर पर, इरेडा न तो कोई भौतिक उत्पाद बनाती या बेचती है और न ही ऐसी पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग करती है जिन्हें प्रयोग के बाद वापस पाने, दोबारा प्रयोग करने, रीसाइकिल करने या निपटाने की ज़रूरत होती है।

	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)		
	पुनः व्यवहृत	पुनर्चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटाया गया	पुनः व्यवहृत	पुनर्चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटाया गया
प्लास्टिक(पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं			लागू नहीं		
ई-कचरा						
जोखिम भरा						
कचरा						
अन्य कचरा						

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनर्प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गये उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।**

उत्पाद श्रेणी दर्शाएँ	संबंधित श्रेणी में बेचे गये कुल उत्पादों के % के रूप में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नहीं, एक एनबीएफसी के तौर पर, इरेडा न तो कोई भौतिक उत्पाद बनाती या बेचती है और न ही ऐसी पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग करती है जिन्हें प्रयोग के बाद वापस इकट्ठा करने की ज़रूरत हो।	

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य कड़ी में शामिल सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए तथा उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **क. कर्मचारियों की भलाई हेतु उपायों का विवरण:**

संवर्ग	निम्नलिखित में कवर कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	157	157	100%	157	100%	0	0%	157	100%	0	0%
महिला	51	51	100%	51	100%	51	100%	0	0%	0	0%
कुल	208	208	100%	208	100%	51	24.52%	157	75.48%	0	0%
स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

ख. कामगारों की भलाई हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	कुल (क)	निम्नलिखित में आवृत कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कामगार (गैर-कार्यपालक)											
पुरुष	15	15	100%	15	100%	0	0	15	100%	0	0
महिला	1	1	100%	1	100%	1	100%	0	0	0	0
कुल	16	16	100%	16	100%	1	6.25%	15	93.75%	0	0
स्थायी कामगार											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

ग. कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और स्थायी के अतिरिक्त अन्य सहित) की भलाई के उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में खर्च:

	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर होने वाली खर्च	0.06	0.06

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

2. वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष के लिए सेवा-निवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में कवर कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/ नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में कवर कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/ नहीं/लागू नहीं)
भविष्य निधि	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उपदान	100%	100%	नहीं	100%	100%	नहीं
एनपीएस	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
अन्य - परोपकारी निधि, ईएल/ एचपीएल, पीआरएमएस, आदि	100%	100%	हाँ	100%	100%	नहीं

**उपदान न तो काटी जाती है और न ही किसी प्राधिकारी के पास जमा की जाती है, बल्कि इसे लागू नियमों के आधार पर भुगतान किया जाता है।*

कार्यस्थलों की पहुँच-सुलभता

3. क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए पहुँच-सुलभ हैं? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाये जा रहे हैं।

क्या दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए संस्था पहुँच-सुलभ है? (हाँ / नहीं)	हाँ
क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं?	इरेडा ने दिव्यांग लोगों के लिए शारीरिक और डिजिटल सुलभता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। कंपनी के कार्यालय को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि दिव्यांग आगंतुक आसानी से आ-जा सकें। यहाँ रैंप, लिफ़्ट और व्हीलचेयर के अनुकूल टॉयलेट जैसी ज़रूरी सुविधाएँ मौजूद हैं, जिससे सुरक्षित और सबके लिए आसान पहुँच सुनिश्चित होती है। शारीरिक सुलभता के अतिरिक्त, इरेडा ने डिजिटल समावेश को भी प्राथमिकता दी है।

	निगमित वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3सी) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 लेवल एए का अनुपालन करती है। इससे दृष्टिबाधित लोग भी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकेंगे। यह वेबसाइट स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों के प्रयोग से समर्थित है और जेएडब्ल्युएस,एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ जैसे आम तौर पर प्रयोग होने वाले सॉफ़्टवेयर के साथ काम करती है।

4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

संस्था के पास समान अवसर नीति है:	हाँ, इरेडा ने 'विविधता, समानता और समावेशन' (डीईआई) नीति अपनाकर कार्यस्थल पर समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया है। यह नीति संगठन के उस उद्देश्य को दर्शाती है जिसके तहत एक ऐसा सम्मानजनक, समावेशी और निष्पक्ष कार्य का माहौल बनाया जाए, जहाँ सभी लोगों को सीखने, विकास करने और टिकाऊ तरक्की के समान अवसर मिलें। कंपनी किसी भी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न के प्रति भेदभाव-रहित और शून्य सहनशीलता दृष्टिकोण अपनाती है। नस्ल, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, मूल, भाषा, धर्म, उम्र, विकलांगता, यौन रुझान, लिंग पहचान और अभिव्यक्ति (ट्रांसजेंडर पहचान सहित), वैवाहिक स्थिति, राजनीतिक राय या एचआईवी सहित चिकित्सीय स्थितियों के बावजूद समान अवसर सुनिश्चित किया जाता है। ये सिद्धांत इरेडा की लोगों के प्रबंधन से जुड़ी कार्यप्रणालियों में शामिल किए गए हैं, ताकि कार्यस्थल पर निष्पक्षता, सम्मान और आपसी आदर को बढ़ावा दिया जा सके। इस नीति ढाँचे के ज़रिए, इरेडा एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति को सुदृढ़ करना चाहता है जो विविधता को महत्व दे, सबको साथ लेकर चलने (इनक्लूज़न) को बढ़ावा दे और कर्मचारियों की लंबे समय तक भलाई और भागीदारी का समर्थन करे।
वेब-लिंक	https://www.ireda.in/policy/dei

5. माता-पिता बनने की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगार की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

	स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)		स्थायी कामगार (गैर- कार्यपालक)	
लिंग	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**100%**	**100%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

**इस और पिछले वित्त वर्ष में किसी भी कर्मचारी ने पितृत्व सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया; इसलिए उनके काम पर लौटने और बने रहने की दर को 'लागू नहीं' के तौर पर दर्ज किया गया है।*

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों हेतु शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें:

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी कामगार (गैर-कार्यपालक)	हाँ, कंपनी के पास शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यापक ऑनलाइन व्यवस्था मौजूद है। यह प्रणाली कंपनी के इंट्रानेट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिससे इसे प्रयोग करना आसान होता है और पारदर्शिता बनी रहती है। कर्मचारियों की शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक निर्धारित शिकायत निवारण समिति समय-समय पर बैठक करती है। सभी शिकायतों की जाँच और समाधान स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं के ज़रिए समय पर किया जाता है, ताकि निष्पक्ष, व्यवस्थित और कुशल समाधान सुनिश्चित हो सके।

स्थायी कामगारों के अतिरिक्त	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)	हाँ, कंपनी के पास शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यापक ऑनलाइन व्यवस्था मौजूद है। यह प्रणाली कंपनी के इंट्रानेट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिससे इसे प्रयोग करना आसान होता है और पारदर्शिता बनी रहती है। कर्मचारियों की शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक निर्धारित शिकायत निवारण समिति समय-समय पर बैठक करती है। सभी शिकायतों की जाँच और समाधान स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं के ज़रिए समय पर किया जाता है, ताकि निष्पक्ष, व्यवस्थित और कुशल समाधान सुनिश्चित हो सके।
स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघ(घों) या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

संवर्ग	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)		
	संबंधित संवर्ग में कुल कर्मचारी/ कामगार (क)	संबंधित संवर्ग में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(घों) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित संवर्ग में कुल कर्मचारी/ कामगार (ग)	संबंधित संवर्ग में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(घों) या यूनियन का हिस्सा हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)	208	0	0	150	0	0
पुरुष	157	0	0	104	0	0
महिला	51	0	0	46	0	0
कुल स्थायी कामगार (गैर-कार्यपालक)	16	0	0	16	0	0
पुरुष	15	0	0	15	0	0
महिला	1	0	0	1	0	0

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:

संवर्ग	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी (कार्यपालक)										
पुरुष	157	150	96%	154	98.09%	104	21	20.19%	80	76.92%
महिला	51	45	88%	48	94.12%	46	11	23.19%	26	56.52%
कुल	208	195	93.75%	202	97.12%	150	32	21.33%	106	70.66%
कामगार (गैर-कार्यपालक)										
पुरुष	15	15	100%	15	100%	15	0	0	0	0
महिला	1	1	100%	1	100%	1	0	0	0	0
कुल	16	16	100%	16	100%	16	0	0	0	0

कंपनी ने स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर अपना ध्यान और सुदृढ़ किया है, जो सीखने के प्रति एक ज़्यादा व्यवस्थित और समावेशी नज़रिए को दर्शाता है।

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
पुरुष	157	157	100.00%	104	104	100.00%
महिला	51	51	100.00%	46	46	100.00%
कुल	208	208	100.00%	150	150	100.00%
कामगार (ग़ैर-कार्यपालक)						
पुरुष	15	15	100%	15	15	100%
महिला	1	1	100%	1	1	100%
कुल	16	16	100%	16	16	100%

10 क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गयी है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का लाभ क्या है?

नहीं, अपने कामकाज के तरीके को देखते हुए, इरेडा ने अपने आंतरिक कार्यबल के लिए कोई अलग और औपचारिक 'व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली' (ओएचएसएमएस) नहीं बनायी है, क्योंकि कंपनी का मुख्य काम ज़्यादातर कार्यालय से जुड़ा है और इसमें कोई औद्योगिक या विनिर्माण का काम शामिल नहीं है। इसके बावजूद, कर्मचारियों की सेहत, सुरक्षा और भलाई इरेडा के संस्थागत मूल्यों का प्रमुख हिस्सा बनी हुई है, जैसा कि इसकी ईएसजी नीति में बताया गया है; यह नीति सुरक्षित और जोखिम-मुक्त कार्यस्थल का माहौल देने पर ज़ोर देती है।

परिसंपत्ति स्वामित्व की बात करें तो, इरेडा के पास 50 मेगावाट का सौर विद्युत संयंत्र है, जिसके परिचालन और रख-रखाव का काम पूरी तरह से एक बाह्य ठेकेदार को सौंपा गया है। संयंत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को लागू करने और बनाए रखने की उत्तरदायी ठेकेदारों की है, जो लागू कानूनी ज़रूरतों और मान्यता प्राप्त मानकों के अनुसार होगी। सौर विद्युत संयंत्र का संचालन आईएसओ 45001:2018 (व्यासायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) की ज़रूरतों के अनुसार किया जाता है।

इरेडा नियमित देख-रेख, निगरानी के तरीकों और ठेकेदारों के काम के समय-समय पर मूल्यांकन के ज़रिए इन सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करता है।

यह तरीका कंपनी को आउटसोर्स किए गए कामों में भी सुदृढ़ स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही यह कर्मचारियों की सुरक्षा, काम से जुड़ी सेहत और उनकी कुल भलाई से जुड़ी ईएसजी नीति में किए गए वादों के अनुरूप भी रहता है।

10 ख. इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन-सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?

कंपनी का मुख्य कामकाज ज़्यादातर कार्यालय से जुड़ा है, इसलिए काम से जुड़ी सेहत और सुरक्षा के खतरों के लिहाज़ से इसे कम जोखिम वाला माना जाता है। इसके अनुसार, काम से जुड़े खतरे आम तौर पर रोज़मर्रा के काम-काज के जोखिमों तक ही सीमित होते हैं, जैसे कि श्रमप्रभाविकी, बिजली से जुड़ी सुरक्षा, गृह प्रबंधन और आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी।

इन जोखिमों की नियमित रूप से पहचान और मूल्यांकन करने के लिए, कंपनी कार्यस्थल पर सुरक्षा के मानक तरीकों का पालन करती है, जिनमें शामिल हैं:

- संभावित सुरक्षा खतरों की पहचान करने के लिए कार्यालय परिसर का समय-समय पर निरीक्षण
- कार्यक्षेत्रों और कॉमन एरिया का श्रमप्रभाव की आकलन
- कार्यालय जगह के मालिकाना हक के ढांचे (चाहे उसका प्रबंधन कंपनी करती हो या कोई बाह्य संस्था) के अनुसार, लागू कार्यस्थल सुरक्षा मानकों और भवन नियमों का पालन करना।
- संबंधित भवन मालिक (कंपनी द्वारा संचालित या बाह्य सेवा प्रदाता) के साथ मिलकर अग्नि सुरक्षा प्रणाली, आपातकालीन निकासी और खाली करने की प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।

संबंधित भवन मालिक (कंपनी द्वारा संचालित या बाह्य सेवा प्रदाता) के साथ मिलकर अग्नि सुरक्षा प्रणाली, आपातकालीन निकासी और खाली करने की प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा करना।

सामान्य कामकाज से हटकर होने वाली परिस्थितियों—जैसे कि कार्यालय का जीर्णोद्धार, रख-रखाव का काम या आपातकालीन हालात—के लिए कंपनी पहले से ही संभावित जोखिमों का आकलन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि बचाव और जोखिम कम करने के उचित उपाय लागू किए जाएं। ये गतिविधियाँ आम तौर पर सुविधा प्रबंधन टीमों और सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करके और लागू सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करते हुए संचालित की जाती हैं।

कुल मिलाकर, यह तरीका कंपनी को एक सुरक्षित और खतरों से मुक्त कार्यालय का माहौल बनाए रखने में मदद करता है। यह माहौल कंपनी के परिचालन के कम जोखिम वाले स्वरूप और कर्मचारियों की सेहत, सुरक्षा और भलाई के प्रति उसकी व्यापक प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

10.ग. क्या आपके के पास कामगारों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से स्वयं को दूर करने की प्रक्रियाएँ हैं।(हाँ/नहीं)

हाँ, कर्मचारियों को सुरक्षा से जुड़ी किसी भी चिंता, खतरे, घटना, बाल-बाल बची दुर्घटना, या असुरक्षित काम/हालात की जानकारी अपने रिपोर्टिंग अधिकारी, विभागीय प्रमुख, मानव संसाधान विभाग, प्रशासनिक विभाग या शिकायत निवारण प्रणाली के ज़रिए देने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि काम का माहौल सुरक्षित और उत्तरदायी बना रहे।

10. घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है? (हाँ/नहीं)

कंपनी अपने कर्मचारियों की समग्र सेहत और भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह की व्यापक गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है। कार्यस्थल पर मौजूद स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के तहत, रोज़ाना एक घरेलू डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। साथ ही, समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, मुफ़्त चिकित्सा शिविर और बीमारियों से बचाव व सेहत से जुड़ी पहल भी की जाती है।

समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी आयुर्वेद थेरेपी, योग और ध्यान सत्र, और पूरी सुविधाओं वाले फिटनेस केंद्र की सुविधा भी देती है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद/नेचुरोपैथी और योग जैसे कई क्षेत्रों के अंशकालिक आगंतुक परामर्शदाता को शामिल करके चिकित्सा सहयोग को और सुदृढ़ किया गया है, ताकि कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल के अलग-अलग विकल्प मिल सकें।

अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदविहीन इलाज के हकदार हैं, जबकि गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में हुए खर्चों का भुगतान कंपनी के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। कंपनी सक्रिय रोजगार से परे अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार करते हुए, सेवा-निवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना भी संचालित करती है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा सकते हैं और सूचीबद्ध न किए गए अस्पतालों में प्राप्त उपचार के लिए प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

ये पहलें समवेत रूप में कर्मचारियों की सेहत, बचाव वाली देखभाल और लंबे समय तक उनकी भलाई पर कंपनी के निरंतर ध्यान को दर्शाती हैं।

11. निम्नलिखित प्रारूप में, सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	संवर्ग	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)
समय-हानि चोट बारंबारता दर (एलटीआईएफ़आर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
मृतकों की संख्या (सुरक्षा घटना)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
गंभीर परिणाम वाली कार्य -संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किये गये उपायों का वर्णन करें।

कंपनी प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल, देखभाल पहल और सुरक्षा उपायों के ज़रिए सुरक्षित, स्वस्थ और काम के अनुकूल माहौल बनाने पर बहुत ज़ोर देती है। कर्मचारियों की भलाई के लिए एक व्यापक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें घरेलू चिकित्सा सुविधाएं (जैसे रोज़ाना डॉक्टर की उपलब्धता, समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच, मुफ्त चिकित्सा शिविर और आयुर्वेद-आधारित इलाज की सुविधा) शामिल हैं।

एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद/प्राकृतिक चिकित्सा और योग सहित कई स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों के अंशकालिक आगन्तुक परामर्शदाता को शामिल करके चिकित्सा सहयोग को और सुदृढ़ किया गया है। कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक सेहत को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें पूरी सुविधाओं वाले फ़िटनेस सेंटर के साथ-साथ रोज़ाना योग और ध्यान सत्रों की सुविधा मिलती है।

कार्यस्थल पर सुरक्षा के नज़रिए से, यहाँ आग से सुरक्षा के लिए ज़रूरी प्रणाली (जैसे अग्नि शामक यंत्र) लगे हुए हैं और अंदर की हवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एयर प्यूरीफायर भी लगाए गए हैं। अस्पताल में भर्ती आवश्यकताओं के लिए, कंपनी ने सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ व्यवस्था की है, जिससे कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को नकदविहीन उपचार का लाभ उठाने में मदद मिलती है, जबकि गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

कंपनी सक्रिय सेवा के बाद भी स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग करती है और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना चलाती है। इस योजना के तहत, सेवानिवृत्त कर्मचारी पैनल में शामिल अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा सकते हैं, और पैनल में शामिल न होने वाले अस्पतालों में इलाज कराने पर खर्च की भरपाई की सुविधा भी मिलती है।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (वर्तमान वित्त वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियाँ	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियाँ
कार्य स्थितियाँ	0	0	0	0	0	0
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	0	0	0	0

14. वर्ष हेतु मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या सांविधिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	100% (इकाई द्वारा)
कार्य स्थितियाँ	100% (इकाई द्वारा)

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का और स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं पर विवरण प्रदान करें।

संगठन ने सभी संयंत्र और कार्यालय में 100% निर्धारण कवरेज प्राप्त कर लिया है, जिसमें आंतरिक (संस्था-संचालित) मूल्यांकन के ज़रिए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथा और काम करने की स्थितियों की पूरी तरह से समीक्षा की गई है। इस सुदृढ़ अनुपालन को कुछ सक्रिय उपायों से और भी बढ़ावा मिलता है, जैसे कि घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में एयर प्यूरीफ़ायर लगाना, और आग से जुड़ी किसी भी संभावित घटना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निगमित कार्यालय और व्यावसायिक केंद्र में रणनीतिक जगहों पर अग्निशामक यंत्र लगाना।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) कामगारों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

(क) कर्मचारी	हाँ
(ख) कामगार	हाँ

2. संस्था द्वारा अपनाए गये उपायों का संज्ञान दें जिससे यह सुनिश्चित हो कि सांविधिक देयों को मूल्य कड़ी भागीदारों द्वारा काट ली गयी है और जमा कर दी गयी है।

कंपनी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं कि मूल्य कड़ी भागीदारों (जैसे ठेकेदार, सेवा प्रदाता आदि) पर लागू होने वाले वैधानिक बकाये की उचित रूप से कटौती की जाए और उन्हें संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों के पास जमा किया जाए। इन उपायों में समझौतों या कार्य आदेश में कानूनी अनुपालन की शर्तें शामिल करना, कानूनी बकाया राशि जमा करने से जुड़े समय-समय पर घोषणा-पत्र और दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करना, और भुगतान जारी करने से पहले इनवॉइस की जांच-पड़ताल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मूल्य कड़ी भागीदारों को भुगतान लागू कानूनी ज़रूरतों का पालन करने पर ही आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ भी कानून के तहत ज़रूरी हो, कंपनी ज़रूरी कटौतियाँ करती है।

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें उच्च नतीजतन कार्य-संबंधित चोट/बीमार स्वास्थ्य/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		पुनर्वासित और उपयुक्त रोजगार में रखे गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:	
	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)
कर्मचारी	0	0	0	0
कामगार	0	0	0	0

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार सुविधा और सेवा-निवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए परिवर्तन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

यह कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के तौर पर काम करती है और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित किए गए रोज़गार, सेवानिवृत्ति और पृथक्करण मानदंड का पालन करती है। इसके अनुसार, सेवानिवृत्ति या नौकरी समाप्त करने से जुड़े मामले निर्धारित सरकारी दिशानिर्देशों के तहत आते हैं, जिससे नौकरी से जुड़े तौर-तरीकों में एकरूपता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहती है।

अपनी सक्रिय सेवा के बाद भी कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, कंपनी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और कल्याणकारी उपाय प्रदान करती है। ये प्रावधान कंपनी के उस फोकस को दर्शाते हैं जो वह सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने कर्मचारियों की दीर्घकालिक भलाई और सामाजिक सुरक्षा पर रखती है।

5. मूल्य कड़ी भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य कड़ी भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं	0
कार्य स्थितियाँ	0

6. मूल्य कड़ी भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

कंपनी ने एक संरचित हितधारक मापन प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रमुख हितधारकों की पहचान की है, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रबंधन से प्राप्त निविष्टियाँ शामिल हैं।

आंतरिक हितधारकों:

- कर्मचारी
- प्रबंधन

बाह्य हितधारक

- इक्विटी शेयरधारक
- बंधपत्रधारक
- ऋणदाता
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के ग्राहक
- सरकारी प्राधिकारी
- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), निगमित मामलों के मंत्रालय, स्टॉक एक्सचेंज और राज्य सरकारों जैसी विनियामक संस्थाएँ।

कंपनी अपने हितधारकों के साथ नियमित रूप से प्रत्यक्ष एवं आभासी माध्यमों से संवाद करती है तथा वरिष्ठ नेतृत्व के साथ सीधे संवाद का अवसर प्रदान करती है, ताकि हितधारकों की चिंताओं का पारदर्शी, समयबद्ध एवं सक्रिय रूप से समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

2. अपनी संस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ कार्य-सहभागिता अंतराल भी बताएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर व हाशिए पर पड़े समूह के रूप में प्रतिचिह्नित किया गया है (हां/नहीं)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार-पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना-पट्ट, वेबसाइट), अन्य	कार्य-सहभागिता अंतराल (वार्षिक/ अर्ध-वार्षिक/ त्रै-मासिक/अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें)	उक्त कार्य-सहभागिता के दौरान उत्पन्न प्रमुख विषय और शंका सहित कार्य-सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, इंटरनेट, बैठकें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सत्र, सुझाव पेटी	रूटीन	व्यावसायिक अद्यतन, ईएसजी पहलू, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिकायत निवारण, कर्मचारी विकास।

हितधारक समूह	क्या कमजोर व हाशिए पर पड़े समूह के रूप में प्रतिचिह्नित किया गया है (हां/नहीं)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार-पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना-पट्ट, वेबसाइट), अन्य	कार्य-सहभागिता अंतराल (वार्षिक/ अर्ध-वार्षिक/ त्रै-मासिक/अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें)	उक्त कार्य-सहभागिता के दौरान उत्पन्न प्रमुख विषय और शंका सहित कार्य-सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
सरकारी निकाय (एमएनआरई आदि)	नहीं	ईमेल, फोन कॉल, बैठकें, ऑनलाइन पोर्टल, समझौता ज्ञापन, फाइलिंग	ज़रूरत-आधारित	अनुपालन, पॉलिसी संरेखण , समझौता ज्ञापन, विनियामक स्पष्टीकरण
विनियामक प्राधिकरण (सेबी, आरबीआई, आदि)	नहीं	विनियामक फाइलिंग, रिपोर्ट्स, ईमेल, फोन कॉल, बैठकें, ऑनलाइन पोर्टल	वार्षिक, त्रै-मासिक, ज़रूरत-आधारित	विनियमों, निरीक्षणों, पूछताछ, नियामक अद्यतनों का अनुपालन
निवेशक एवं शेयरधारक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट, वार्षिक रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण, पत्र, समाचार-पत्र	ज़रूरत-आधारित	वित्तीय अद्यतन, रणनीतिक चर्चा, शिकायत निवारण, प्रतिक्रिया और सुझाव
ग्राहक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट, पत्र, टेलीफ़ोन, ग्राहकों से मुलाक़ात, फ़ीडबैक चैनल	तिमाही, ज़रूरत के अनुसार	वित्तपोषण सेवा की गुणवत्ता, शिकायतों का समाधान, निधि के बारे में स्पष्टता को समझना
विक्रेता	नहीं	ईमेल, एसएमएस, जीईएम पोर्टल, सीपीपी पोर्टल, पत्र, टेलीफ़ोन	ज़रूरत के अनुसार	खरीद, नीति का अनुपालन, विवादों का समाधान
स्थानीय समुदाय	हाँ	सीएसआर पहल, सर्वेक्षण, मैदानी दौरा, व्यक्तिगत बातचीत, सामुदायिक बैठकें	ज़रूरत के अनुसार	सामाजिक-आर्थिक विकास, समुदाय की प्रतिक्रिया, सीएसआर परियोजना की निगरानी
उद्योग संघ (सीआईआई, आईबीए, आदि)	नहीं	संगोष्ठी, सम्मलेन, बैठकें	ज़रूरत आधारित	बेहतरीन तौर-तरीके साझा करना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श हेतु प्रक्रियाएँ प्रदान करें या यदि परामर्श का कार्य सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को किस प्रकार प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है।**

   आमतौर पर प्रत्येक तिमाही में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ ग्राहक बैठक आयोजित की जाती है। इसमें कार्यात्मक निदेशक भी शामिल होते हैं, जो बोर्ड के सदस्य भी होते हैं। इन बैठकों के दौरान, ग्राहक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों पर अपने सुझाव साझा करते हैं। इन निविष्टियों की समीक्षा की जाती है और जहाँ उचित समझा जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है और मंज़ूरी के लिए बोर्ड के पास भेजा जाता है।

   इसके अतिरिक्त, वार्षिक आम बैठक के दौरान, शेयरधारक कंपनी के कामकाज के अलग-अलग पहलुओं पर अपने सुझाव और प्रतिक्रिया देते हैं। इन निविष्टियों का मूल्यांकन किया जाता है, और जो प्रासंगिक माने जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है और जहाँ ज़रूरी हो, उन्हें बोर्ड के सामने उचित तरीके से पेश किया जाता है।

2. **क्या हितधारकों के परामर्श को पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए**

उपयोग किया जाता है (हाँ/ नहीं। यदि हाँ, तो इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था, इनके उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

हाँ, हितधारक परामर्श पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) नीति को विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से मिले सुझावों को शामिल करके अंतिम रूप दिया गया है।इसके अतिरिक्त, ऋण लेने वालों को ईएसएमएस नीति के ढांचे, प्रक्रियाओं और उसे लागू करने के तरीक़ों से परिचित कराने के लिए एक व्यापक कार्यशाला आयोजित की गई।

3. **कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गयी कार्रवाई और उनसे जुड़े मामलों का विवरण दें।**

निर्धारित स्थानों पर परियोजना सहित हमारी सीएसआर परियोजनाओं की जांच और मंज़ूरी 'ज़रूरत के आकलन' या संबंधित ज़िला प्रशासन/सरकारी अधिकारियों की सिफ़ारिशों के आधार पर की जाती है और इसलिए, स्थानीय समुदायों की शिकायतों का समाधान संबंधित ज़िला अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **कर्मचारी और कामगार, जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार विषयों और इकाई की नीति(यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)		
	कुल (क)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
स्थायी	208	200	96.15%	150	13	8.67%
स्थायी के अतिरिक्त	0	0	0	0	0	0
कुल कर्मचारी	**208**	**200**	**96.15%**	**150**	**13**	**8.67%**
कामगार (गैर-कार्यपालक)						
स्थायी						
(गैर-कार्यकारी)	16	16	100%	16	0	0
स्थायी के अतिरिक्त	0	0	0	0	0	0
कुल कामगार	**16**	**16**	**100%**	**16**	**0**	**0**

कंपनी ने अपने कर्मचारियों और कामगारों के लिए प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाकर, अपने कामकाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को शामिल करने के अपने नज़रिए को काफ़ी सुदृढ़ किया है। यह रोज़मर्रा के कामकाज में मानवाधिकारों से जुड़े पहलुओं को शामिल करने और पूरे कार्यबल में जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अधिक सक्रिय कोशिश को दर्शाता है।

2. **कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मज़दूरी का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:**

संवर्ग	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)				
	कुल (क)	न्यूनतम मज़दूरी के समतुल्य		न्यूनतम मज़दूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मज़दूरी के समतुल्य		न्यूनतम मज़दूरी से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. ग	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. च	% (च/घ)
कर्मचारी (कार्यपालक)										
स्थायी	208	0	0%	208	100%	150	0	0%	150	100%
पुरुष	157	0	0%	157	100%	104	0	0%	104	100%
महिला	51	0	0%	51	100%	46	0	0%	46	100%
स्थायी को छोड़कर	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

संवर्ग	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)				
	कुल (क)	न्यूनतम मज़दूरी के समतुल्य		न्यूनतम मज़दूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मज़दूरी के समतुल्य		न्यूनतम मज़दूरी से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. ग	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. च	% (च/घ)
पुरुष	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कामगार (गैर-कार्यपालक)										
स्थायी	16	0	0%	16	100%	16	0	0%	16	100%
पुरुष	15	0	0%	15	100%	15	0	0%	15	100%
महिला	1	0	0%	1	100%	1	0	0%	1	100%
स्थायी को छोड़कर	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	2*	24,35,760	0	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1	18,00,000	1	9,60,000
बीओडी और केएमपी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी	156	8,65,200	50	8,65,200
कामगार	15	7,12,320	1	5,16,480

***कुल 3 निदेशक मंडल में से, दो निदेशकों को लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी से पारिश्रमिक मिलता है। सरकार नामित निदेशक को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, क्योंकि मुआवज़ा उक्त नियुक्ति पर लागू सम्बंधित सरकारी प्रावधानों के तहत निर्धारित होता है।**

पारिश्रमिक, वेतन और मज़दूरी की जानकारी वार्षिक मिलने वाले मूल वेतन के आधार पर दी जाती है। हालाँकि, इन आंकड़ों में वे भुगतान शामिल नहीं हैं जो कर्तव्यों के पालन के लिए नियमित पारिश्रमिक का हिस्सा नहीं हैं। वार्षिक वेतन-भत्ते का ढांचा, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया।

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

ख. निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा भुगतान की गयी कुल मज़दूरी के % के रूप में महिलाओं को दी गयी सकल मज़दूरी:

	वित्त वर्ष 26 चालू वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 25 पिछला वित्त वर्ष
कुल मज़दूरी के % के रूप में महिलाओं को दी गयी सकल मज़दूरी	25%	27.01%

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

4. क्या आपके पास मानवाधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किये गये विषयों के समाधान के लिए एक उत्तरदायी केंद्र बिंदु (व्यक्तिश:/समिति) है?

हाँ, कंपनी ने एक केंद्र बिंदु निर्धारित किया है जो अपने व्यावसायिक परिचालन की वजह से होने वाले मानवाधिकारों पर प्रभाव या उनसे जुड़े विषयों को सुलझाने के लिए ज़िम्मेदार है।

कंपनी की मानवाधिकार नीति के अनुसार, मानव संसाधन विभाग के प्रमुख या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि इस काम के लिए नोडल अधिकारी के तौर पर कार्य करते हैं। नोडल अधिकारी इन कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं:

- मानवाधिकारों से जुड़ी शिकायतों या चिंताओं को प्राप्त करना और उनका समाधान करना, और
- हितधारक को सुझाव या शिकायतें रखने के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराना

5. मानवाधिकार विषयों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें:

मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताओं का समाधान कंपनी के स्थापित शिकायत निवारण ढांचे के माध्यम से किया जाता है, जो सभी प्रकार की शिकायतों पर लागू होता है। यह एकीकृत तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी, कामगार, समुदाय के सदस्य, निवेशक और ग्राहक सम्मिलित सभी हितधारक को अपनी चिंताएँ बताने के लिए एक समान, पारदर्शी और प्रभावदार प्रक्रिया उपलब्ध हो।

शिकायतें निर्धारित किए गए माध्यमों से दर्ज की जा सकती हैं और कंपनी की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी समीक्षा और समाधान किया जाता है। यह तरीका समय पर समाधान सुनिश्चित करता है और साथ ही मानवाधिकारों का सम्मान करने तथा अपने कामकाज और हितधारकों के साथ बातचीत में निष्पक्ष और उत्तरदायी व्यावसायिक तौर-तरीकों को बढ़ावा देने की कंपनी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)		
	वर्ष के दौरान फाईल की गई	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	अभ्युक्तियाँ	वर्ष के दौरान फाईल की गई	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	अभ्युक्तियाँ
यौन उत्पीड़न	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
बाल श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
मजदूरी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
मानवाधिकारों से संबंधित अन्य विषय	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज शिकायतें:

	वित्त वर्ष 26 चालू वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 25 पिछला वित्त वर्ष
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज की गयी कुल शिकायतें	0	0
महिला कर्मचारियों/कामगारों के % के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें	0	0
पीओएसएच पर शिकायतों को सही ठहराया गया	0	0

संस्था के पास कार्यात्मक पीओएसएच समिति है और तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।

***नोट:** ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

कंपनी ने भेदभाव, उत्पीड़न या अन्य अनैतिक व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के लिए किसी भी तरह के बुरे नतीजों को रोकने के लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपाय किए हैं। ये सुरक्षा उपाय कंपनी के 'सतर्कता तंत्र' और **'पर्दाफाश करने वाली नीति'** में शामिल हैं, जिन्हें पारदर्शिता, भरोसा और नैतिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

इस व्यवस्था के तहत, कर्मचारी और निदेशक सम्मिलित सभी संबंधित पक्षों को नेक नीयत से अपनी चिंताएँ ज़ाहिर करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय माध्यम उपलब्ध कराया जाता है। यह नीति साफ़ तौर पर शिकायत करने वालों के ख़िलाफ़ बदला लेने, उन्हें परेशान करने या किसी भी तरह की नुकसानदेह कार्रवाई करने पर रोक लगाती है। चिंता जताने वाले व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखी जाती है और जहाँ तक संभव हो, उसे गोपनीय रखा जाता है।

खास परिस्थिति में, शिकायत करने वालों के पास लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क करने का विकल्प भी होता है, जिससे सुरक्षा और आज़ादी का एक अतिरिक्त स्तर सुनिश्चित होता है। जांच-पड़ताल निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा निष्पक्ष, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाती है, और पूरी प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता के हितों और भलाई की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है।

ये उपाय समवेतरूप में मामलों की रिपोर्टिंग हेतु एक सुरक्षित, सहयोगी और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माहौल सुनिश्चित करते हैं, और सम्मान, निष्पक्षता तथा भेदभाव और उत्पीड़न के प्रति 'शून्य सहनशीलता' की कंपनी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ, मानवाधिकारों से जुड़ी ज़रूरतों को कंपनी के व्यावसायिक समझौतों और अनुबंध संबंधी ढाँचों में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। कंपनी अपने अनुबंधों में मानवाधिकारों से जुड़ी अपेक्षाओं को शामिल करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यावसायिक संबंध उत्तरदायी, नैतिक और कानूनी नियमों के पालन के साथ निभाए जाएं।

ये ज़रूरतें बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने के कंपनी के संकल्प के अनुरूप हैं और विक्रेता, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यावसायिक भागीदार के साथ होने वाले सभी लेन-देन पर लागू होती हैं। अनुबंध की शर्तों में आम तौर पर लागू कानूनों का पालन, नैतिक आचरण, भेदभाव न करना, लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और उत्तरदायी श्रम प्रथाओं पर ज़ोर दिया जाता है।

कंपनी अपने ठेकागत समझौतों में मानवाधिकारों से जुड़ी बातों को शामिल कर, अपने आंतरिक कामकाज से परे मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का दायरा बढ़ाना चाहती है और अपनी पूरी मूल्य कड़ी में उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देना चाहती है। यह तरीका जोखिम कम करने, जवाबदेही और राष्ट्रीय नियामक ज़रूरतों व मान्यता प्राप्त ईएसजी सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है।

10. वर्ष हेतु मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या सांविधिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100%
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
मजदूरी	100%
अन्य	100%

11. उपर्युक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए उठाये गये या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कंपनी ने व्यापक इकाई-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से बाल श्रम, जबरन/अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल भेदभाव, मजदूरी और अन्य प्रासंगिक पहलुओं सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में 100% कवर सुनिश्चित किया है। इन मूल्यांकनों के निष्कर्षों से पता चलता है कि इन मानदंड के तहत कोई विशेष जोखिम या चिंता की बात सामने नहीं आई।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार शिकायतों/शिकायतों का समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण:

शून्य

2. आयोजित किसी भी मानवाधिकार उचित परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण:

लागू नहीं।

3. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ है?

हाँ, 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' की ज़रूरतों के अनुसार, कंपनी का कार्यालय दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ है। दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी सुलभ सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचा शामिल किया गया है।

4. मूल्य कड़ी भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य कड़ी भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	
मजदूरी	
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (गीगाजूल में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्न प्रारूप में:

मानदंड	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछले वित्त वर्ष)
नवीकरणीय स्रोतों से (गीगाजूल में)		
कुल बिजली खपत (क)	1,448.28	1,526.04
कुल ईंधन खपत (ख)	-	-
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (ग)	-	-
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग)	1,448.28	1,526.04
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से (गीगाजूल में)		
कुल बिजली खपत (घ)	3,305.50	2,679.84
कुल ईंधन खपत (ङ)	225.93	313.41
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (च)		-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (घ+ङ+च)	3,531.43	2,993.25
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग+घ+ङ+च)	4979.71	4,519.29
कुल कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/प्रचालन से राजस्व) (जीजे/मिलियन भारतीय रुपये)	0.059	0.066
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कुल कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व) (जीजे/मिलियन अमेरिकी डॉलर)	1.214	1.382
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)- संबंधित मेट्रिक का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं

पीपीपी मूल्य आईएमएफ की वेबसाइट से ली गई है; वित्त वर्ष 26 के लिए पीपीपी 20.34 है।

***नोट:** बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। नहीं, स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया।*

हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन का कार्य मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया है।

2. संस्था के पास भारत सरकार की कार्य-निष्पादन, उपलब्धि और व्यावसायिक (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गये कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये हैं, तो की गयी उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें:

नहीं।

3. पानी से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	-	-
(ii) भू-जल	-	-
(iii) तृतीय पक्ष जल	10,984.12	14,102.07
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	10,984.12	14,102.07
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	3,322.19*	2820.41
कुल कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (कुल जल खपत/ परिचालन से राजस्व) (किलोलीटर/मिलियन भारतीय रु.)	0.04	0.042
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व) (किलोलीटर/ मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0.81	0.863
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था द्वारा संबंधित मीट्रिक चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं

पानी की खपत की गणना इस फ़ॉर्मूले का प्रयोग करके की जाती है (जल खपत = जल निकासी – जल निकास)

***नोट:** बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। नहीं, स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया।*

हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन का कार्य मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया है।

4. **जल निकास से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

मानदंड	उपचार	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
गंतव्य और उपचार स्तर के अनुसार जल निकास (किलोलीटर में)			
(i) सतही जल में		-	-
(ii) भू-जल में		-	5726.76
(iii) समुद्री जल में		-	-
(iv) तीसरे पक्ष को प्रेषित किया		1,999.53*	5554.90
(v) अन्य		5,662.40**	-
कुल जल निकास (किलोलीटर में)		**7,661.93**	**11281.66**

***नोट:** *पिछले वर्ष की तुलना में डिस्चार्ज वैल्यू में अंतर है, क्योंकि मौजूदा रिपोर्टिंग वर्ष में केरल में 50 मेगावाट का सोलर पीवी पावर प्लांट और आईबीसी ऑफिस जेडएलडी है।*

*** "अन्य" के तहत बताई गई निर्वहन मात्रा केरल में 50 मेगावाट के सोलर पीवी पावर प्लांट से संबंधित है, जहाँ पानी को प्लांट परिसर के बाहर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि वह प्राकृतिक रूप से ज़मीन में रिस जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है।*

***नोट:** बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। नहीं, स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया।*

हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन का कार्य मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया है।

5. क्या इकाई ने शून्य तरल उत्सर्जन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो उसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

हाँ, कंपनी के मालिकाना हक वाले 50 मेगावाट सोलर पीवी पावर प्लांट का संचालन और रख-रखाव एक तृतीय पक्ष के ठेकेदार द्वारा किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्लांट से पानी छोड़े जाने की कोई सूचना नहीं मिली है, क्योंकि सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) पैनलों की सफाई में प्रयोग होने वाले पानी को सुविधा केंद्र से बाहर नहीं छोड़ा जाता है। इसके बजाय, यह स्वाभाविक रूप से जमीन में समा जाता है या वाष्पित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र से कोई अपशिष्ट जल नहीं निकलता है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली में आईबीसी ऑफिस एक जेडएलडी सुविधा के तौर पर काम करता है। यहाँ ऑफिस से निकलने वाले गंदे पानी को कार्यस्थल पर मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में उपचारित किया जाता है और उपचार किए गए पानी का प्रयोग बागवानी, फ़र्श की सफ़ाई और कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरे कामों के लिए दोबारा किया जाता है।

6. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अतिरिक्त) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
एनओएक्स		लागू नहीं	लागू नहीं
एसओएक्स			
कणिका तत्व (पीएम)			
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
जोखिम भरा वायु प्रदूषक (एचएपी)		लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें			

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	इकाई	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन	14.86	21.74
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन	651.92	541.18
कारोबार के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व)	मीट्रिक टन/ मिलियन भारतीय रु.	0.0079	0.0083
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	मीट्रिक टन/ मिलियन अमेरिकी डॉलर	0.162	0.172
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक संस्था द्वारा चुना जा सकता है	मीट्रिक टन/ भारतीय रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: *बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।*

हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन का कार्य मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया है।

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

कंपनी के पास 50 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) प्लांट है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में योगदान देता है और जीवाश्म ईंधन पर आधारित बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, इस सौर संयंत्र से पैदा हुई बिजली की वजह से लगभग 51,005 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सका। यह पहल जलवायु परिवर्तन को कम करने, कार्बन मुक्तिकरण और टिकाऊ ऊर्जा बदलाव के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों में भी योगदान देती है।

9. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	-	-

मानदंड	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
ई-कचरा (ख)	-	-
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	-	-
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	-	-
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	-	-
अन्य जोखिम भरा अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ)	-	-
उत्पन्न अन्य गैर-जोखिम भरा अपशिष्ट (ज)। कृपया बताएं, यदि कोई हो। (संरचना के अनुसार विवरण, यानी उस क्षेत्र से संबंधित सामग्री के आधार पर) (एमटी)	10.51*	-
कुल (क+ख+ग+घ+ ङ+च+छ+ज)	**10.51**	**-**
कारोबार के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता (कुल अपशिष्ट उत्पन्न / प्रचालन से राजस्व) (एमटी/मिलियन भारतीय रुपये)	0.000126	-
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल अपशिष्ट उत्पन्न / परिचालन से राजस्व) (एमटी/मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0.002563	-
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	-	-
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक संस्था द्वारा चुना जा सकता है	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक संवर्ग हेतु, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
(i) पुनर्चक्रित	-	-
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	-	-
कुल	**-**	**-**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) भू-भरण	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	-	-
कुल	**-**	**-**

***नोट:** कार्यालय में प्रति कर्मचारी, प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे की गणना अनुमान के आधार पर की जाती है। कचरे को सूखे और गीले कचरे में अलग-अलग किया जाता है।*

***नोट:** बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।*

हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन का कार्य मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया है।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनायी गयी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में जोखिम भरा और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनायी गयी रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनायी गयी प्रथाओं का वर्णन करें।

इरेडा के कामकाज से मुख्य रूप से कार्यालय से जुड़ा कचरा पैदा होता है, जिसमें कागज़, प्लास्टिक और अन्य गैर-जोखिम भरा सामग्री शामिल हैं। रिपोर्टिंग वित्त वर्ष के दौरान, कोई इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न नहीं हुआ। इकट्ठा किए गए सभी कचरे को लागू नियमों के अनुसार सही ढंग से निपटाने के लिए नगर निगम को उत्तरदायीपूर्वक सौंप दिया गया।

पर्यावरण की स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, इरेडा ने इस वर्ष कचरे को सूखे और गीले कचरे में अलग-अलग करने की प्रक्रिया शुरू की। इस पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन की क्षमता को बेहतर बनाना और कार्यालय के कामकाज से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है।

11. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जंगल, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास परिचालन/कार्यालय हैं, जहाँ पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	परिचालन/कार्यालयों का स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो उसका कारण और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है, तो उसका विवरण दें।
कंपनी का कोई भी कामकाज या कार्यालय पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में या उनके आस-पास नहीं है।			

12. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किये गये परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किये गये (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

13. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इसके तहत नियम (हां/नहीं)।

क्र. सं.	उस कानून/विनियमन/दिशा-निर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालयों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो
लागू नहीं				

एक एनबीएफसी के तौर पर, इरेडा का मुख्य कामकाज कार्यालय से होता है और इसमें प्रदूषण फैलाने वाली या पर्यावरण के लिए जोखिम भरा कोई भी प्रक्रिया शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास 50 मेगावाट का सौर विद्युत संयंत्र है, जो मूल रूप से साफ़ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।

सौर विद्युत संयंत्र का संचालन और रख-रखाव एक तृतीय पक्ष ठेकेदार द्वारा किया जाता है; हालाँकि, परिसंपत्ति के मालिक के तौर पर कंपनी यह पक्का करती है कि सभी कामकाज लागू पर्यावरण कानूनों, नियमों और कानूनी ज़रूरतों के अनुसार हों। रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान, पर्यावरण संबंधी नियमों के पालन के मामले में कंपनी पर कोई जुर्माना, दंड या नियामक कार्रवाई नहीं की गई।

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) परिचालन की प्रकृति

मानदंड	उपचार	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		लागू नहीं	लागू नहीं
(i) सतही जल			
(ii) भू-जल			
(iii) तृतीय पक्ष जल			
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल			
(v) अन्य			
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)			
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)			
कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (जल की खपत/कारोबार)			
जल तीव्रता (वैकल्पिक)- ओआरई का प्रति मीट्रिक टन			

मानदंड	उपचार	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)			
(i) सतही जल में			
- कोई उपचार नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(ii) भू-जल में			
- कोई उपचार नहीं			
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(iii) समुद्री जल में			
- कोई उपचार नहीं			
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(iv) तीसरे पक्ष को प्रेषित किया			
- कोई उपचार नहीं			
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(v) अन्य			
- कोई उपचार नहीं			
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
कुल जल निर्वहन (किलोलीटर में)			

नोट: *बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।*

2. कृपया कुल 'स्कोप 3' उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में दें:

मानदंड	इकाई	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त 25 (पिछला वित्त वर्ष)
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (अगर उपलब्ध हो, तो जीएचजी का CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विवरण)	CO_2 के बराबर मीट्रिक टन	1607.33*	-
कारोबार के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन	CO_2 के बराबर मीट्रिक टन/मिलियन भारतीय रुपये	0.0193	-

**स्कोप 3 उत्सर्जन का आकलन श्रेणी 1, 2, 3, 6 और 7 के अंतर्गत किया गया है।*

नोट: *बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।* ***नहीं***

3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताये गये पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/ उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उक्त के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम का विवरण प्रदान करें:

क्र. सं.	की गयी पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, तो सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
1.	अपशिष्ट पृथक्करण	वर्ष के दौरान, इरेडा ने कचरे को सूखे और गीले वर्गों में बांटकर कचरा अलग-अलग करने की प्रक्रिया शुरू की। इस पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन की क्षमता को बेहतर बनाना है।	कचरे को अलग-अलग करने के तरीकों को लागू करने से कचरा प्रबंधन ज़्यादा बेहतर हुआ है। इससे कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने और कचरे के उत्तरदायी निपटान के व्यवहार को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है।

5. क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

हाँ, इरेडा के पास एक व्यावसायिक निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है, जो उसकी व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति द्वारा संचालित होती है। यह नीति एक व्यवस्थित रणनीतिक और परिचालनगत तरीका निर्धारित करती है, ताकि अंदरूनी और बाह्य जोखिमों की पहले से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा सके, संभावित रुकावटों को कम किया जा सके और ज़रूरी व्यावसायिक परिचालन को निरंतर जारी रखा जा सके। यह इरेडा की सूचना सुरक्षा ज़रूरतों के अनुसार सूचना सुरक्षा और निरंतरता के उपायों को शामिल करता है, जिससे मुख्य सिस्टम और डेटा की सुदृढ़ी बढ़ती है। बीसीएम फ्रेमवर्क का उद्देश्य अचानक आने वाली रुकावटों या आपातकालीन स्थितियों का समय रहते पता लगाकर, उन्हें रोककर और उनका प्रभावदार ढंग से प्रबंधन करके संगठन की स्थिरता बनाए रखना और हितधारकों के हितों की रक्षा करना है।

बीसीएम नीति इरेडा के इंट्रानेट https://www.ireda.in/policy/code-of-conduct पर उपलब्ध है।

6. इकाई की मूल्य कड़ी से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

शून्य।

7. मूल्य कड़ी भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

सभी परियोजना ऋण का मूल्यांकन हमारे पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) फ्रेमवर्क के अनुसार, पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) प्रभावों के आधार पर किया जाता है।

8 क. संस्था द्वारा ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न किये गए या खरीदे गए हैं:

शून्य।

8 ख. शीर्ष दस मूल्य कड़ी भागीदार (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के आधार पर) द्वारा बनाए गए या प्राप्त किए गए ग्रीन क्रेडिट

शून्य।

सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो ऐसे में उन्हें उत्तरदायी और पारदर्शिता के साथ करना चाहिए।

आवश्यक संकेत

1. क. व्यावसायिक और उद्योग चेम्बरों/एसोसिएशनों से संबद्धता की संख्या:

पांच (5)

1. ख. शीर्ष 10 व्यावसायिक और उद्योग चेंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है

क्र. सं.	व्यावसायिक और उद्योग चेंबरों/एसोसिएशनों का नाम	व्यावसायिक और उद्योग चेंबरों/एसोसिएशनों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई)	राष्ट्रीय
2	वर्ल्ड एनर्जी काउन्सिल इंडिया	राष्ट्रीय
3	केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड	राष्ट्रीय
4	भारतीय उद्योग परिसंघ	राष्ट्रीय
5	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	राष्ट्रीय

2. विनियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी विषय पर की गयी या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:

क्र. सं.	सार्वजनिक नीति की वकालत	ऐसे वक्तव्य के लिए अपनायी गयी पद्धति	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्ध-वार्षिक/त्रै-मासिक/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
कोई नहीं					

सिद्धांत 8: **व्यवसायों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।**

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किये गये परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण:**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किया गया (हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजना(ओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) किया जा रहा है:**

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर द्वारा शामिल किये गये पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गयी राशि (भारतीय रु. में)
लागू नहीं						

3. **समुदाय की शिकायतें ग्रहण करने और उनके निवारण तंत्र का वर्णन करें।**
सीएसआर परियोजनाओं की जांच और मंज़ूरी 'ज़रूरत के आकलन' या संबंधित ज़िला प्रशासन/सरकारी अधिकारियों की सिफ़ारिशों (जिसमें निर्धारित जगहों पर परियोजना भी शामिल हैं) के आधार पर की जाती है। साथ ही, स्थानीय समुदायों की शिकायतों का समाधान भी संबंधित ज़िला अधिकारी ही करते हैं।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निविष्टि सामग्री (मूल्य के अनुसार कुल निविष्टि में निविष्टि) का प्रतिशत**

	वित्त वर्ष 26 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त	26.41%	12.25%
सीधे भारत के भीतर से	100%	100%

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान किये गये वेतन का प्रकटीकरण कुल मज़दूरी लागत के % के रूप में करें।**

स्थान	वित्त वर्ष 26 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
ग्रामीण	शून्य	शून्य
अर्ध-शहरी	शून्य	शून्य
शहरी	शून्य	शून्य
महानगर	100%	100%*

****नोट:*** *हमने इस वर्ष बीआरएसआर पर उद्योग मानक नोट के अनुसार जॉब सृजन केपीआई की गणना करने के अपने तरीके में बदलाव किया है। पिछले वर्ष की गणना को संशोधित कार्य-प्रणाली के आधार पर अद्यतन किया गया है।*

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में प्रतिचिह्नित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गयी कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:**

नकारात्मक सामाजिक प्रभाव	सुधारात्मक कार्रवाई
इरेडा, स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं हेतु लागू एमसीए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूचीबद्ध एजेंसियों के ज़रिए प्रभाव का आकलन शुरू करने की प्रक्रिया में है।	

2. **सरकारी निकायों द्वारा प्रतिचिह्नित नामित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा की गयी सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गयी राशि लाख में (भारतीय रुपये में)
1	राजस्थान	जैसलमेर	10,600,000
2	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	3,975,000
3	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	8,782,906
4	उत्तर प्रदेश	चंदौली	16,885,377
5	बिहार	मुज़फ़्फ़रपुर	11,845,000
6	सिक्किम	सिक्किम पश्चिम	8,662,500
7	मध्य प्रदेश	राजगढ़	26,62,819

निर्धारित किए गए आकांक्षी जिले के लिए सीएसआर आवंटन/मंजूरी के अतिरिक्त (जिला प्रशासन के अनुरोध पर), कंपनी ने बिहार के मुजफ्फरपुर आकांक्षी जिले में ₹10,25,00,398 और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर आकांक्षी जिले में ₹31,36,767 की वित्तीय सहायता भी आवंटित/मंजूर की है।

3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है, जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)

कंपनी सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति का पालन करती है, जिसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें एमएसई से कम से कम 25% खरीद करना अनिवार्य है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% खरीद के उप-लक्ष्य शामिल हैं। कंपनी अपनी खरीद गतिविधियों में इन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करती है।

खरीद से जुड़े फैसले मिली हुई बोलियों के आधार पर लिए जाते हैं, जिनमें विक्रेता बोली जमा करते समय अपनी एमएसई श्रेणी के बारे में स्वयं जानकारी देते हैं। इसलिए, श्रेणी के हिसाब से लक्ष्य पूरे करने की कंपनी की क्षमता, मिलने वाली योग्य बोलियों की उपलब्धता और प्रतिनिधित्व पर निर्भर करती है, जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

ख) आप किस हाशिए पर पड़े/कमजोर समूह से खरीद करते हैं?

कंपनी सरकारी नीति के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदारी करती है। खरीदारी का वर्गीकरण विक्रेता की घोषणाओं पर आधारित होता है।

ग) यह कुल खरीद (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत है?

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, खरीदे गए सामान और सेवाओं के कुल मूल्य में एमएसई से खरीद 26.41%, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई से 0.64% और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से 5.93% रही। ये आंकड़े विक्रेता के दावों पर आधारित हैं, जिन पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्त वर्ष में) के स्वामित्व वाली या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किये गये लाभों का विवरण:

बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित	साझा लाभ	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
लागू नहीं			

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गयी या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

प्राधिकारी का नाम	संक्षिप्त मामला	सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
1.	विकलांग बच्चों की सेवा के लिए "थेरेपी ऑन व्हील्स" कार्यक्रम चलाना	160	100%
2.	बीएसएफ लोंगेवाला, जैसलमेर, राजस्थान में 100 केडब्ल्यूपी ऑफ-ग्रिड एसपीवी पावर प्लांट (कार पोर्ट स्ट्रक्चर टाइप) की आपूर्ति / स्थापना / शुरुआत और रख-रखाव	500000	25%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
3.	राजस्थान के जयपुर में दूर-दराज़ और झुग्गी-बस्ती वाले इलाकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए मैसर्स भगवान महावीर चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट को 25 सिंगल-टीचर स्कूलों के ज़रिए मदद।	500	100%
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, दिल्ली को कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) कार की खरीद, कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन, जांच और देश-विदेश से आने वाले लोगों को इसे दिखाने के लिए योगदान।	1100	32%
5.	जिला-उन्नाव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चार (4) स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन।	400	100%
6.	ओडिशा के मयूरभंज ज़िले में गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज (रायरंगपुर), गवर्नमेंट (एसएसडी) गर्ल्स हाई स्कूल (रायरंगपुर), गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल (रायरंगपुर) और स्किल ट्रेनिंग हब, पहाड़पुर में सोलर पावर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना।	3000	90%
7.	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के लिए ज़रूरी चिकित्सा उपकरणों की खरीद।	1200000	100%
8.	ओल्ड गोवा में पोदार इंटरनेशनल स्कूल के पास वाटर पंपिंग स्टेशन पर 45 केडब्ल्यू ऑन-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना।	1000	100%
9.	उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती स्थित विपासना मेडिटेशन सेंटर में 50 केडब्ल्यू ऑफ-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना।	3000	50%
10.	ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के 11 अदद सरकारी स्कूलों में आरओ वॉटर प्यूरीफ़ायर के साथ सोलर वॉटर कूलर की आपूर्ति और स्थापना।	4087	100%
11.	इरेडा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने सीएसआर कोष से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी), नई दिल्ली को ₹50,00,000 का योगदान दिया है। यह योगदान कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों व परंपराओं को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए है, जिसमें युवा और उभरते कलाकारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।	10000	15%
12.	हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन (रेडियो कुल्लू 90.4 FM) की स्थापना और उसे चालू करना।	100000	100%
13.	हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में 11 आइस-लाइन्ड रेफ्रिजरेटर (आईएलआर) की खरीद और स्थापना।	45000	100%
14.	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले चंदौली के 21 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की आपूर्ति और स्थापना।	4046	100%
15.	मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार स्थित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में प्रयोग के लिए विद्युतीय वाहनों की आपूर्ति और डिलीवरी।	100000	100%
16.	मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल राजगढ़ और सिविल अस्पताल ब्यावरा में हीमोडायलिसिस मशीनों और अन्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना।	540	100%
17.	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले बलरामपुर के 20 स्कूलों में स्मार्ट क्लास कीआपूर्ति और स्थापना।	35000	100%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
18.	सिक्किम के अस्पतालों में पाँच (05) डायलिसिस मशीनों की आपूर्ति और स्थापना (दो इकाई जोरथांग सीएचसी, सिक्किम में और तीन इकाई ज़िला अस्पताल, सोरेंग, सिक्किम में)	7500	100%
19.	जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कुपवाड़ा आकांक्षी ज़िले के 21 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की आपूर्ति, स्थापना और उन्हें चालू करने के लिए नवसृष्टि फ़ाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	2575	100%
20	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर (एमपीएमएमसीसी), वाराणसी, उत्तर प्रदेश में प्रयोग के लिए 4 अदद बैटरी-संचालित (विद्युतीय) वाहनों की आपूर्ति और उन्हें चालू करने और एचबीसीएच एंड आरसी, मुजफ्फरपुर के लिए डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के तौर पर तीन अदद बीआई हेडर माइक्रोस्कोप और दो अदद मैनुअल रोटरी माइक्रोटोम की आपूर्ति और उन्हें चालू करने के लिए मैसर्स डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफयू) को वित्तीय सहायता।	126000	100%
21	गुजरात के खेड़ा ज़िले के सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें और मल्टीपैरा मॉनिटर मशीनें उपलब्ध कराने और लगाने के लिए, इरेडा के सीएसआर कोष से 'नव अभ्युदय शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समिति' को वित्तीय सहायता।	438000	100%
22	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले चंदौली में 21 अदद सेकेंडरी स्कूलों में ऑफ़-ग्रिड रूफ़टॉप सोलर पीवी सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और चालू करने के लिए मैसर्स यूपीएसआईसी (बांदा) को वित्तीय सहायता।	148579	100%
23	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इरेडा के सीएसआर कोष से, बिहार के मधुबनी जिले में झंझारपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत 5 अदद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में से प्रत्येक पर 20 केडब्ल्यू ऑफ-ग्रिड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए मैसर्स यूपीएसआईसी (बांदा) को वित्तीय सहायता।	875992	100%
24	महाराष्ट्र के अहिल्यानगर ज़िले में 05 अदद जगहों पर ओपन-एयर जिम की आपूर्ति और स्थापना के लिए मैसर्स स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लीज़र स्किल्स काउंसिल (एसपीईएफएल-एससी) को वित्तीय सहायता।	5000	100%
25	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इरेडा के सीएसआर फंड से 'द बाबा जसवंत सिंह ट्रस्ट डेंटल चैरिटेबल हॉस्पिटल', लुधियाना के डेंटिस्ट्री विभाग में 10 अदद डेंटल चेयर की आपूर्ति और स्थापना के लिए 'द बाबा जसवंत सिंह ट्रस्ट', लुधियाना, पंजाब को वित्तीय सहायता।	100000	100%
26	केंद्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (केंद्रीय भंडार) को निम्नलिखित की आपूर्ति, स्थापना और चालू करने के लिए वित्तीय सहायता : i. गोवा मेडिकल कॉलेज, बम्बोलिम, तिसवाडी, गोवा के पास डीडीडब्ल्यू वॉटर पंपिंग स्टेशन पर 90 केडब्ल्यू ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम; और ii. गोवा के तिसवाडी में अगस्साइम पुलिस स्टेशन के पीछे डीडीडब्ल्यू वॉटर पंपिंग स्टेशन पर 80 केडब्ल्यू ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम।	2600	100%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
27	जम्मू एवं कश्मीर के आकांक्षी ज़िले कुपवाड़ा में ट्रूनट मशीन, एक्स-रे स्कैनर और संचालन से जुड़े खर्च सहित मोबाइल ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) डायग्नोस्टिक और जागरूकता वाहन की आपूर्ति और उसे चालू करने के लिए'टीवाईसीआईए फ़ाउंडेशन' (टर्न योर कंसर्न इन्टु एक्शन) को वित्तीय सहायता।	200000	100%
28	हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में 'अर्ली इंटरवेंशन सेंटर' के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सामग्री की आपूर्ति और खरीद तथा ऑफिस व थेरेपी सेंटर के लिए उपकरणों की आपूर्ति और खरीद के लिए सैम्फिया फ़ाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	300	100%
29	ओलातपुर, ओडिशा स्थित एसवीएनआईआरटीएआर में 60 अदद सोलर स्ट्रीटलाइट और 4 अदद हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति, स्थापना और शुरुआत के लिए स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च (एसवीएनआईआरटीएआर) को वित्तीय सहायता।	3775	100%
30	कर्नाटक के मत्तूरु गाँव (मथुर) में शारदा विलास स्कूल में नेट मीटरिंग सुविधा वाली विद्युत प्रणाली के अधीन 50 केडब्ल्यू ऑन-ग्रिड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की आपूर्ति, स्थापना और चालू करने तथा कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर (40 अदद) की आपूर्ति, स्थापना और संचालन के लिए मथुर होसाहल्ली शारदा स्कूल बेटरमेंट कमिटी को वित्तीय सहायता।	470	100%
31	कर्नाटक के हावेरी ज़िले में सरकारी प्राइमरी/हाई स्कूलों में 27 अदद क्लासरूम के निर्माण हेतु, वित्त वर्ष 2025-26 में इरेडा के सीएसआर कोष से ज़िला पंचायत हावेरी को वित्तीय सहायता।	2670	100%
32	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बुचिरेड्डीपालेम, कोवूर, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में ज़रूरी उपकरण की आपूर्ति और स्थापना के लिए मैसर्स वीपीआर फ़ाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	200000	100%
33	वित्त वर्ष 2025-26 में इरेडा के सीएसआर कोष के तहत, धारवाड़ एक्वेटिक और मल्टी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिमनेजियम उपकरणों और खेल उपकरण की आपूर्ति और स्थापना सहित अवसंरचना विकास के लिए धारवाड़ जिले के उपायुक्त के कार्यालय को वित्तीय सहायता।	500000	50%
34	कर्नाटक के धारवाड़ जिले में लगभग 633 (छह सौ तैंतीस) सरकारी स्कूलों के शौचालयों के रख-रखाव के लिए जेटिंग मशीनें प्रदान कराने हेतु धारवाड़ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वित्तीय सहायता।	138000	100%

सिद्धांत 9 : व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ उत्तरदायीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

इरेडा ने अपने ग्राहकों, हितधारकों और नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों और प्रतिक्रिया को समय पर और उत्तरदायी से सुनने, उन पर कार्रवाई करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक, पारदर्शी और व्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। यह व्यवस्था कंपनी के 'नागरिक चार्टर' में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप सुलभता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

शिकायतें और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कई माध्यम

उपभोक्ता/ग्राहक इन माध्यमों से अपनी शिकायत या प्रतिक्रिया दे सकते हैं :

- इरेडा की वेबसाइट पर ऑनलाइन पूछताछ/प्रतिक्रिया पोर्टल डाल दी गई है, जो ग्राहकों को सेवा से जुड़े सवाल और प्रतिक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की सुविधा देना।
- सतर्कता या नैतिक चिंताओं से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने के लिए समर्पित सतर्कता शिकायत पोर्टल।
- संबंधित शिकायत अधिकारी को सम्बोधित लिखित और भौतिक शिकायत जमा करना, जैसा कि नागरिक चार्टर के अधीन निर्धारित है।

एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन्हें 'निदेशक शिकायत - महाप्रबंधक मानव संसाधन' का पद दिया गया है, ग्राहकों की शिकायतों और प्रतिक्रिया को लेने, उन्हें रिकॉर्ड करने और उनका समाधान करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्राप्त सभी शिकायतों को ठीक से रिकॉर्ड और दर्ज किया जाता है, और मिलने की तारीख से तुरंत या 3 कामकाजी दिनों के भीतर उनकी पावती दी जाती है।शिकायतकर्ता को ट्रैकिंग के लिए तारीख के साथ शिकायत का सन्दर्भ या पंजीकरण संख्या दिया जाता है। निदेशक शिकायत करने वाले पक्ष को 15 कामकाजी दिनों के भीतर शिकायत पर हुई प्रगति की जानकारी देते हैं। जिन मामलों में शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखना चाहता है, वहाँ निदेशक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हैं और शिकायत मिलने की तारीख से 30 कामकाजी दिनों के भीतर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर शिकायत दर्ज कराने के 15 दिनों के भीतर पीड़ित पक्ष को कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को लिखकर मामले को आगे बढ़ा सकते हैं।

इरेडा अपनी शिकायत निवारण प्रणाली और डिजिटल फ़ीडबैक तंत्र के ज़रिए यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शिकायतों को तुरंत स्वीकार किया जाए और उनका समाधान हो; इसके लिए स्पष्ट आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और वरिष्ठ स्तर की निगरानी की व्यवस्था है।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं से सकल कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/या सेवाओं का सकल कारोबार जो निम्नलिखित के बारे में जानकारी रखते हैं:-

सेवाएं	सकल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	100%
सुरक्षित और उत्तरदायीपूर्ण उपयोग	100%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :

	वित्त वर्ष 26 (वर्तमान वित्त वर्ष)		अभ्युक्तियाँ	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)		अभ्युक्तियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
विज्ञापन	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
साइबर-सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक प्रथाएं	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अनुचित व्यावसायिक प्रथाएं	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

4. सुरक्षा विषयों के कारण उत्पाद वापसी के उदाहरणों का विवरण:

	संख्या	वापसी के कारण
स्वैच्छिक वापसी	0	लागू नहीं
जबरन वापसी	0	लागू नहीं

इरेडा पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और बढ़ोतरी में मदद करने के लिए कई तरह की वित्तपोषण सेवा देता है। ये पेशकशें विशेष तौर पर सौर, पवन, बायोमास और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने, उनके लिए वित्तपोषण करने और उन्हें लागू करने में मदद करने के लिए बनाई गई हैं।

कंपनी किसी भी तरह के भौतिक उत्पादों के निर्माण, बिक्री या वितरण के काम में शामिल नहीं है। इसलिए, सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण उत्पाद वापस मंगाने का सवाल ही नहीं उठता।

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

उपलब्ध नीति (हाँ/नहीं)	हाँ
वेब लिंक:	सूचना सुरक्षा नीति एक आंतरिक दस्तावेज है और यह कंपनी के इंट्रानेट के ज़रिए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

इरेडा के पास पूरे संगठन में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए एक सूचना सुरक्षा नीति और एक स्थापित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) मौजूद है। यह ढांचा सभी हितधारकों पर लागू होता है, जिनमें ग्राहक, कर्मचारी, शेयरधारक, व्यावसायिक भागीदार और अन्य बाह्य पक्ष शामिल हैं। इसे सूचना परिसम्पत्तियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सूचना सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सूचना सुरक्षा नीति एक व्यवस्थित तरीका बताती है। इसमें मूल्यांकन प्रबंधन, डेटा सुरक्षा, घटना के समय प्रतिक्रिया, सिस्टम की सुदृढ़ी (सिस्टम रेज़िलिएंस) और लागू डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस नीति को अलग-अलग कार्यात्मक स्तर पर निर्धारित प्रक्रियाओं, भूमिकाओं और उत्तरदायीयिों का समर्थन प्राप्त है।

साइबर रेज़िलिएंस और जोखिम से निपटने की तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए, इरेडा ये कदम उठाता है :

- प्रमुख प्रणाली और अनुप्रयोगों में कमज़ोरियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए, प्रत्येक छह महीने में कमजोरी मूल्यांकन और प्रवेश जांच (वीएपीटी) की जाती है।
- सुरक्षा नियंत्रण की प्रभावशीलता, आंतरिक नीति के पालन और लागू विनियामक ज़रूरतों को पूरा करने का आकलन करने के लिए समय-समय पर सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा की जाती हैं।
- संभावित साइबर खतरों का समय रहते पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी आईटी अवसंरचना, नेटवर्क और सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की निरंतर निगरानी करना।
- सुरक्षा से जुड़ी रोकथाम, पहचान और प्रतिक्रिया की क्षमताओं को बेहतर बनाने और सुरक्षित डिजिटल बदलाव की पहलों को सहारा देने के लिए आईटी और साइबर-सुरक्षा अवसंरचना में निरंतर निवेश करना।

साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा का अभिशासन और निगरानी, बोर्ड-स्तर की आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी) के ज़रिए की जाती है। विनियामक ज़रूरतों के अनुसार, आईटीएससी की देख-रेख में एक सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) काम करती है और यह पूरे संगठन में सूचना और साइबर-सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए उत्तरदायी है। आईएससी में जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना सुरक्षा और व्यापारिक कार्य के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसे सूचना सुरक्षा नीति को लागू करने, साइबर घटनाओं की समीक्षा करने, सुरक्षा से जुड़े कामों की निगरानी करने और पूरे संगठन में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

समय-समय पर सूचना सुरक्षा अभिशासन ढांचा, साइबर सुरक्षा की स्थिति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, व्यापारिक निरंतरता और आपदा पुनर्प्राप्ति की व्यवस्थाओं और सूचना सुरक्षा से जुड़े बड़े कामों की पर्याप्तता और प्रभावदार होने की आईटीएससी समीक्षा करता है। इस अभिशासन संरचना के ज़रिए, इरेडा यह सुनिश्चित करता है कि लागू विनियामक और कानूनी ज़रूरतों का पालन करते हुए, सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा उसके कुल जोखिम प्रबंधन ढांचा और रणनीतिक लक्ष्यों का प्रमुख हिस्सा बनी रहे।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित विषयों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के मामलों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक अधिकारियों द्वारा दंड/की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं है, क्योंकि कोई भी समस्या रिपोर्ट नहीं की गयी है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :

क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या : 0

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत :

वित्त वर्ष 2025-26 में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आने के कारण यह लागू नहीं है।

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो: लागू नहीं है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया।

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

उपलब्ध चैनल/प्लेटफ़ॉर्म (हाँ / नहीं)	हाँ
वेब लिंक :	इरेडा | वित्तपोषण योजनाएँ – वित्तपोषण संबंधी मानदंड

इरेडा के उत्पाद और सेवाओं की जानकारी अच्छी तरह से निर्धारित डिजिटल चैनलों, मुख्य रूप से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है। ये चैनल संभावित ऋणकर्ताओं, मौजूदा ग्राहकों/क्लाइंट्स और अन्य हितधारकों के लिए पारदर्शिता, आसानी से पहुँच और जानकारी के आधार पर फ़ैसले लेने की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

इरेडा की वित्तपोषण योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट के "वित्तपोषण योजनाएं" खंड में दी गई है। यह खंड इरेडा द्वारा वित्तपोषित किए गए सभी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत है।

यह वेबसाइट ये सुविधाएँ देती है :

- सौर, पवन, जल विद्युत, जैविक-ऊर्जा, पारेषण और अन्य योग्य तकनीकों सहित वित्तपोषण विकल्पों का क्षेत्र-वार व्याप्ति।
- निधि आधारित और गैर-निधि आधारित वित्तपोषण योजना की जानकारी
- वित्तपोषण के नियमों, पात्रता के मानदंडों और संभावित प्रक्रिया प्रवाह के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन
- ब्याज दर मैट्रिक्स, योजना निर्धारित प्रोत्साहन और लागू शर्तें
- मानक आवेदन प्रपत्र, जांच-सूची और कानूनी दस्तावेज़ों की ज़रूरतें
- वित्तपोषित की गई परियोजनाओं से जुड़ी खरीद संबंधी ज़रूरतें
- आवेदकों और ऋणकर्ताओं की सहायता के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उपभोक्ता जागरूकता सामग्री
- विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों के लिए नियुक्त अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण

इन व्यवस्थित डिजिटल चैनलों के ज़रिए, इरेडा यह सुनिश्चित करता है कि हितधारकों को उसके उत्पाद, सेवाएं और वित्तपोषण प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साफ़, भरोसेमंद और अद्यतित तरीके से मिल सके।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाये गये कदम।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक विशेष विकसित वित्तीय संस्थान के तौर पर इरेडा की भूमिका को देखते हुए, उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और उत्तरदायी प्रयोग की अवधारणा, कंपनी द्वारा वित्तपोषित की गई परियोजनाओं के उत्तरदायी तरीके से लागू करने और उनके संचालन के ज़रिए पूरा किया जाता है। इसीलिए, इरेडा अपने ऋण लेने वालों और परियोजना विकासकों को शिक्षित और निर्देशित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना का क्रियान्वयन पर्यावरण की दृष्टि से सही, सामाजिक रूप से उत्तरदायी और नियमों के अनुरूप हो।

इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने वाला एक मुख्य तरीका इरेडा का 'पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली' (ईएसएमएस) है। वित्तपोषित की गई परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरण और सामाजिक (ईएंडएस) जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने, उनका आकलन करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए ईएसएमएस एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है।

ऋण के मूल्यांकन की प्रक्रिया के तहत, योग्य परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक स्तर पर जांच की जाती है और संभावित प्रभावों की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। ऋण लेने वालों को उनकी परियोजना से जुड़ी लागू ई एंड एस ज़रूरतों और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे उत्तरदायी से योजना बनाना और काम पूरा करना संभव हो पाता है।

पहली संवितरण से लेकर परिचालन के चरण तक, ऋण लेने वालों को ऋण की शर्तों के अनुसार ई एंड एस के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी और रिपोर्टिंग करनी होती है। इरेडा के अधिकारी वित्तपोषण अनुबंध के अनुसार समय-समय पर परियोजना की प्रगति और उसके कार्य-निष्पादन की समीक्षा करते हैं। कंपनी, पर्यावरण और सामाजिक विषयों और ज़रूरतों पर ऋण लेने वालों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास करती है। इसके लिए वह उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के साथ-साथ समूह-आधारित क्षमता निर्माण और जानकारी फैलाने वाले कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

ये पहलें ऋण लेने वालों में जागरूकता को बढ़ावा देती हैं और इरेडा के ईएसएमएस के अनुपालन को आसान बनाती हैं।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र।

इरेडा ने ऐसे जोखिमों की पहचान करने, उन्हें प्रबंधित करने और उनके बारे में जानकारी देने के लिए आंतरिक प्रणाली बनाए हैं, जिनसे ज़रूरी सेवाओं में रुकावट आ सकती है या वे बंद हो सकती हैं। कंपनी अपनी 'व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन' (बीसीएम) नीति के अनुसार काम करती है। यह नीति एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है, जिससे उन अंदरूनी और बाह्य खतरों का सामना किया जा सके जो कंपनी के कामकाज, लक्ष्यों या प्रमुख बुनियादी ढांचे पर प्रभाव डाल सकते हैं।

जोखिम मूल्यांकन और व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित है बीसीएम जोखिम, जिससे कंपनी संभावित जोखिमों की पहले से पहचान कर सकती है और सेवा की निरंतरता पर उनके प्रभाव का आकलन कर सकती है। नीति के अनुसार, सूचना प्रणाली और डेटा सुरक्षा को बनाए रखने का काम स्थापित सूचना सुरक्षा और आईटी अभिशासन व्यवस्थाओं के ज़रिए किया जाता है।

इस नीति का उद्देश्य कंपनी और उसके हितधारकों, दोनों के हितों की रक्षा करना है। इसके लिए ऐसी क्षमता सुनिश्चित की जाती है जिससे रुकावट पैदा करने वाली घटनाओं या संभावित जोखिमों का पता लगाया जा सके, उन्हें रोका जा सके, उनके प्रभाव को कम किया जा सके और उन्हें प्रबंधित किया जा सके। इससे सेवा में रुकावट की संभावना कम हो जाती है।

4. क्या संस्था स्थानीय कानून के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण सम्पादित किया है? (हां/नहीं)

उत्पाद की जानकारी का खुलासा

हाँ। इरेडा लागू कानूनों के तहत ज़रूरी जानकारी के अतिरिक्त, अपने उत्पादों और सेवाओं से जुड़ी जानकारी भी देता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना, सोच-समझकर फ़ैसला लेने में मदद करना और ऋण लेने वालों व अन्य हितधारकों के साथ उत्तरदायी से जुड़ना है। एक विकसित वित्तीय संस्थान के तौर पर इरेडा की भूमिका को देखते हुए, इस जानकारी का उद्देश्य संभावित और मौजूदा ऋण लेने वालों को इसकी वित्तीय उत्पादों की प्रकृति, शर्तों, पात्रता की शर्तों और प्रक्रिया से जुड़ी ज़रूरतों को साफ़ तौर पर समझने में मदद करना है।

कानूनी प्रकटीकरण के अतिरिक्त, कंपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराती है। इसमें क्षेत्र-वार वित्तपोषण योजना, पात्रता के नियम, वित्तपोषण के नियम, ब्याज दरों का अनुमानित चार्ट, प्रक्रिया का तरीका, आवेदन के मानक प्रारूप, ज़रूरी दस्तावेज, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और निर्धारित अधिकारियों के संपर्क विवरण शामिल हैं। ऋण लेने वालों को ऋण लेने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मदद करने के लिए ग्राहकों की जागरूकता से जुड़ी सामग्री और मार्गदर्शक नोट भी जारी की जाती है।

उपभोक्ता प्रतिपुष्टि तंत्र

खुलासों के अतिरिक्त, इरेडा अपने मुख्य कामकाज में शामिल व्यवस्थित बातचीत के तरीकों के ज़रिए ऋण लेने वालों और हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। ऋण लेने वालों से प्रतिक्रया और सेवा से जुड़ी जानकारी शिकायत निवारण प्रणालियों, ऑनलाइन प्रतिपुष्टि सुविधाओं, परियोजना के मूल्यांकन और निगरानी के दौरान सीधे बातचीत, और रोज़मर्रा के कामकाज से जुड़ी बातचीत के ज़रिए मिलती है। ये चैनल कंपनी को सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और ऋण लेने वालों की ज़रूरतों के प्रति तेज़ी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता को सुदृढ़ बनाने में मदद करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार);
निदेशक (वित्त) और मु.वि.अ.
(डीआईएन : 08816532)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 07 अगस्त, 2026

शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार
103 व 105, अजंता मार्केट, प्लॉट संख्या 1,
वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाज़ा
आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड की वित्त वर्ष 2025-26 हेतु व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारिता रिपोर्ट में बीआरएसआर (9) मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों पर स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र,
ईस्ट कोर्ट, कोर-4ए, प्रथम तल, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110 003

परिचय

हमें, मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा रिपोर्टिंग अवधि 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक ("वित्त वर्ष 2025-26") के लिए सेबी मास्टर परिपत्र संख्या : सेबी/एचओ/49/14/14(7)2025-सीएफडी-पीओडी2/I/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 ("सेबी बीआरएसआर कोर सर्कुलर") के अधीन प्रदान की गई मूल्य कड़ी हेतु आश्वासन और ईएसजी प्रकटीकरण के लिए बीआरएसआर मुख्य - ढाँचे के अनुसार व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट ("बीआरएसआर") में बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के अधीन कंपनी के प्रकटीकरणों का एक स्वतंत्र उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है।

प्रबंधन और हमारी उत्तरदायी

कंपनी का प्रबंधन बीआरएसआर में डेटा और अन्य आवश्यक जानकारी को एकत्रित करने, उसका विश्लेषण करने, उसे प्रमाणित करने और प्रकट करने तथा प्रकटीकरण की सत्यनिष्ठा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है ताकि वे किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ग़लतफ़हमी या चूक से मुक्त हों। प्रबंधन उस डेटा और अन्य जानकारी तक पूर्ण पहुँच प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है जिस पर उसने बीआरएसआर तैयार करते समय भरोसा किया है।

हमारी उत्तरदायी है कि हम आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बीआरएसआर में सेबी बीआरएसआर मूल परिपत्र में दिए गए बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के संबंध में किए गए खुलासों पर उचित आश्वासन व्यक्त करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त करना है।

कार्य-क्षेत्र और सीमा

कार्य-क्षेत्र

हमारे कार्य-क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 हेतु सेबी बीआरएसआर मूल परिपत्र में दिए गए निम्नलिखित बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के आश्वासन का एक स्वतंत्र उचित स्तर शामिल है। यह आश्वासन जुड़ाव कंपनी के बीआरएसआर मुख्य खुलासों तक ही सीमित है और इसमें बीआरएसआर में शामिल मूल्य कड़ी से जुड़े ईएसजी खुलासों (यदि कोई हों) शामिल नहीं हैं।

शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार

103 व 105, अजंता मार्केट, प्लॉट संख्या 1,
वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाज़ा
आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092

क्र.सं.	विशेषता	सिद्धांत	मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
1	ग्रीनहाउस गैस फुटप्रिंट	सिद्धांत 6, प्रश्न 7	• कुल कार्य-क्षेत्र 1 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) • कुल कार्य-क्षेत्र 2 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों (CO2e) का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (दायरा 1+2)
2	जल फुटप्रिंट	सिद्धांत 6, प्रश्न 3	• कुल जल खपत (मिलियन लीटर या किलोलीटर में) • जल खपत तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित मिलियन लीटर या किलोलीटर/रुपये में) • जल खपत तीव्रता (मिलियन लीटर/उत्पाद या सेवा में)
		सिद्धांत 6, प्रश्न 4	• गंतव्य के अनुसार जल निर्वहन और मिलियन या किलोलीटर में उपचार के स्तर
3	ऊर्जा की फुटप्रिंट	सिद्धांत 6, प्रश्न 1	• जूल या गुणकों में कुल ऊर्जा खपत • नवीकरणीय स्रोतों से खपत ऊर्जा का % • प्रतिशत के सन्दर्भ में ऊर्जा तीव्रता • पीपीपी के लिए समायोजित जूल या गुणकों में ऊर्जा तीव्रता/रुपया • जूल या गुणकों में ऊर्जा तीव्रता/उत्पाद या सेवा
4	अपशिष्ट प्रबंधन	सिद्धांत 6, प्रश्न 9	• संस्था द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट से संबंधित विवरण (संवर्गवार) • अपशिष्ट तीव्रता • उत्पन्न अपशिष्ट का प्रत्येक संवर्ग, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालनों के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट • उत्पन्न अपशिष्ट के प्रत्येक संवर्ग के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट
5	कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा में वृद्धि	सिद्धांत 3, प्रश्न 1(ग)	• कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और स्थायी के अतिरिक्त अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर खर्च की गई लागत

शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार

103 व 105, अजंता मार्केट, प्लॉट संख्या 1,
वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाज़ा
आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092

क्र.सं.	विशेषता	सिद्धांत	मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
		सिद्धांत 3, प्रश्न 11	• सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण
6	व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	सिद्धांत 5, प्रश्न 3(ख)	• संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मज़दूरी
		सिद्धांत 5, प्रश्न 7	• पीओएसएच पर शिकायतें
7	समावेशी विकास को सक्षम बनाना	सिद्धांत 8, प्रश्न 4	• कुल खरीद के % के रूप में एमएसएमई/छोटे उत्पादकों और भारत में कहीं से प्राप्त निविष्ट सामग्री
		सिद्धांत 8, प्रश्न 5	• छोटे शहरों में रोज़गार सृजन - छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध पर) को कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई मजदूरी
8	ग्राहकों और आपूर्तिकारों के साथ जुड़ाव में निष्पक्षता	सिद्धांत 9, प्रश्न 7	• कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में ग्राहकों के डेटा की हानि/उल्लंघन से संबंधित मामले
		सिद्धांत 1, प्रश्न 8	• देय खातों के दिनों की संख्या
9	व्यवसाय का खुलापन	सिद्धांत 1, प्रश्न 9	• व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद और बिक्री का संकेंद्रण • संबंधित पक्षों के साथ ऋण एवं अग्रिम और निवेश

आश्वासन पद्धति

आश्वासन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, हमने निम्नलिखित पर निर्भर किया है:

ढांचे-:

- सेबी बीआरएसआर मूल आश्वासन परिपत्र
- सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर /2024/177 दिनांक 20 दिसंबर, 2024 के मार्फ़त बीआरएसआर कोर की रिपोर्टिंग पर उद्योग मानक
- ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल पद्धति
- केंद्रीय भू जल बोर्ड (केंद्रीय) दिशा-निर्देश

शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार

103 व 105, अजंता मार्केट, प्लॉट संख्या 1,
वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाज़ा
आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092

- आश्वासन जुड़ाव पर अंतरराष्ट्रीय मानक ("आईएसएई") 3000 (संशोधित)- ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा-परीक्षा या समीक्षा के अतिरिक्त अन्य आश्वासन जुड़ाव

पद्धति :-

आश्वासन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, हमने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- बीआरएसआर (9) मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत प्रकटीकरणों की समीक्षा की, जिसमें (9) ईएसजी विशेषताओं के अंतर्गत प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के एक समूह सम्मिलित आश्वासन के ढांचे को शामिल किया गया है।
- गणना और रिपोर्टिंग के आधार पर डेटा, दस्तावेज़ों और अन्य सूचनाओं की समीक्षा की गई।
- हमने डेटा एकत्र करने, मिलान करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझने के लिए स्थिरता, पर्यावरण सामाजिक अभिशासन (ईएसजी) के लिए उत्तरदायी प्रबंधन के संबंधित कार्मिकों और सलाहकार और उनकी टीम का साक्षात्कार लिया।
- रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के लिए समेकन की जाँच की।
- रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में एकरूपता का आकलन करने के लिए डेटा परीक्षण आयोजित की गई। इसमें रिकॉर्ड का मूल्यांकन और नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित परीक्षण करना शामिल था।
- कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न मान्यताओं, अनुमानों और भौतिकता सीमाओं की उपयुक्तता का आकलन किया।
- जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने डेटा और सूचना की नमूना-आधारित समीक्षा की है।

हमारी राय

हमें प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेज़ों, हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बीआरएसआर में प्रकट की गई बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ, सेबी बीआरएसआर मूल आश्वासन परिपत्र में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट की गई हैं।

स्वतंत्रत कथन

हम कंपनी के वैधानिक लेखा-परीक्षक के तौर पर भी काम कर रहे हैं। हम पुष्टि करते हैं कि न तो हमने और न ही हमारे किसी सहयोगी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी या उसकी समूह इकाइयों को ऐसी कोई गैर-लेखा-परीक्षा, गैर-आश्वासन,गैर-आकलन या परामर्श सेवाएँ प्रदान की हैं, जिनसे सेबी बीआरएसआर कोर फ्रेमवर्क के तहत हमारी स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव पड़े या हितों का टकराव पैदा हो।

उपयोग या वितरण पर प्रतिबंध

यह आश्वासन कथन, जिसमें निष्कर्ष भी शामिल है, केवल कंपनी के अनुरोध पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बीआरएसआर में किए गए प्रकटीकरणों के संबंध में वैधानिक दायित्वों को पूरा करने हेतु तैयार किया गया है। हमारी रिपोर्ट का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्ष के प्रति, जिसे हमारी रिपोर्ट दिखाई जाती है या जिसके हाथों में यह हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना आ सकती है, कोई दायित्व स्वीकार या स्वीकार नहीं करते हैं।

सीमाएँ

इस आश्वासन अनुबंध के अंतर्गत हमारा कार्य-निष्पादन निम्नलिखित सीमाओं के अधीन है:

शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार
103 व 105, अजंता मार्केट, प्लॉट संख्या 1,
वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाज़ा
आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092

- कंपनी के साथ सहमत कार्य-क्षेत्र के आधार पर, उचित आश्वासन की सीमा कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के सभी कार्यालयों में संचालन को कवर करती है। इसके अतिरिक्त, यह आश्वासन केवल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों के लिए दिया जा रहा है।
- आश्वासन अनुबंध के दौरान, हमने कंपनी द्वारा प्रदान किए गए डेटा और जानकारी पर भरोसा किया है। हमने यह मान लिया है कि कंपनी ने हमें आश्वासन के निष्पादन के लिए आवश्यक पूर्ण और प्रामाणिक डेटा तथा अन्य जानकारी प्रदान की है। कुछ मामलों में, कंपनी ने तृतीय-पक्ष डेटा स्रोतों पर भरोसा किया है। हमने उस डेटा स्रोत की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं किया है।
- गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और मापन करने के लिए स्थापित मानकों के एक महत्वपूर्ण निकाय का अभाव, विभिन्न लेकिन स्वीकार्य माप तकनीकों की अनुमति देता है, जो संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकता है।
- बीआरएसआर तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की उत्तरदायी है। बीआरएसआर में बताई गई वित्तीय डेटा, 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण से ली गई है, जिस पर हमने 29 मई, 2026 को एक अलग वैधानिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। अन्य सभी डेटा और खुलासों के लिए, इस जुड़ाव के तहत अपनी आश्वासन प्रक्रियाओं को पूरा करने के आधार के तौर पर हमने प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्रोत रिकॉर्ड, जानकारी और प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है।
- यह आश्वासन जीएचजी प्रोटोकॉल के अनुसार आकलन/माप त्रुटियों और चूकों के लिए भौतिकता सीमा के आधार पर अनिश्चितता पर विचार करता है।
- यह आश्वासन कंपनी के उन कथनों को कवर नहीं करता है जो किसी भी प्रकार की राय, दावे, विश्वास, आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ, लक्ष्य या भावी इरादे, यदि कोई हों, व्यक्त करते हैं।
- यह आश्वासन बीआरएसआर मुख्य विशेषता के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों के संबंध में कानूनी अनुपालन की समीक्षा शामिल नहीं करता है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009989N

हस्ता./-
सीए मनीष गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या : 095518
यूडीआईएन : 26095518JTBLX12515

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2026